

खंडों पर टिप्पण

आय-कर

विधेयक की पहली अनुसूची के साथ पठित खंड 2 वे दरें विनिर्दिष्ट करने के लिए है, जिन पर आय-कर निर्धारण वर्ष 2009-2010 के लिए कर से प्रभार्य आय पर उद्गृहीत किया जाना है। इसके अतिरिक्त, यह खंड उन दरों को, जिन पर वित्तीय वर्ष 2009-2010 के दौरान ऐसी आय से स्रोत पर कर की कटौती की जानी है, जो आय-कर अधिनियम के अधीन कटौती के अधीन रहते हुए है और उन दरों को भी अधिकथित करता है, जिन पर वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए “अग्रिम कर” का संदाय किया जाना है, “वेतन” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से स्रोत पर कर की कटौती की जानी है या संदाय किया जाना है और विशेष दशाओं में कर का परिकलन और प्रभारण किया जाना है।

निर्धारण वर्ष 2009-2010 के लिए आय-कर की दरें :

विधेयक की पहली अनुसूची का भाग 1, आय-कर की वे दरें विनिर्दिष्ट करता है जिन पर आय निर्धारण वर्ष 2009-2010 के लिए कर के दायित्वाधीन है। ये वे दरें हैं, जो वित्त अधिनियम, 2008 की पहली अनुसूची के भाग 3 में, वित्तीय वर्ष 2008-2009 के दौरान “वेतन” से स्रोत पर कर की कटौती करने, “अग्रिम कर” की संगणना करने और विशेष दशाओं में आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट की गई थीं।

वित्तीय वर्ष 2009-2010 के दौरान “वेतन” से भिन्न आय से स्रोत पर कर की कटौती की दरें :

विधेयक की पहली अनुसूची का भाग 2, वे दरें विनिर्दिष्ट करता है, जिन पर, “वेतन” से भिन्न आय से वित्तीय वर्ष 2009-2010 के दौरान स्रोत पर कर की कटौती की जानी है। ये वे दरें हैं, जो वित्त अधिनियम, 2008 की पहली अनुसूची के भाग 2 में, यथाविनिर्दिष्ट उन व्यक्तियों के लिए हैं, जो भारत में निवासी नहीं हैं। तथापि, निवासी करदाताओं के लिए अधिकतम दरों को स्रोत पर कर कटौती की दरों को न्यायसंगत बनाने के उद्देश्य से कई दरों को घटा दिया गया है।

इस प्रकार कटौती किए गए कर की रकम में, देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में, ऐसे कर के ढाई प्रतिशत की दर से, अधिभार बढ़ा दिया जाएगा। अन्य सभी दशाओं में स्रोत पर कटौती किए गए कर पर कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2009-2010 के दौरान “वेतन” से स्रोत पर कर की कटौती करने, “अग्रिम कर” की संगणना करने और विशेष दशाओं में आय-कर प्रभारित करने के लिए दरें :

विधेयक की पहली अनुसूची का भाग 3, वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए वे दरें, जिन पर “वेतन” शीर्ष के अधीन स्रोत पर आय-कर की कटौती की जानी है या संदाय किया जाना है और वे दरें भी, जिन पर “अग्रिम कर” का संदाय किया जाना है और विशेष दशाओं में आय-कर परिकलित या प्रभारित किया जाना है, विनिर्दिष्ट करता है।

इस भाग का पैरा क प्रत्येक व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब या प्रत्येक व्यक्ति संगम या व्यक्ति-निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे भाग 3 का कोई अन्य पैरा लागू होता है, आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करता है। ऐसे मामलों में, आय-कर छूट की सीमा बढ़ाकर 1,60,000/- रुपए तक की गई है। ऐसे मामलों में कुल आय पर आय-कर की नई दरें निम्नानुसार होंगी—

1,60,000 रुपए तक	कुछ नहीं
1,60,001 रुपए से 3,00,000 रुपए तक	10 प्रतिशत
3,00,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
5,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत।

ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी स्त्री है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष से कम आयु की है, छूट की सीमा बढ़ाकर 1,90,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। ऐसे मामलों में कुल आय पर आय-कर की नई दरें निम्नानुसार होंगी,—

1,90,000 रुपए तक	कुछ नहीं
1,90,001 रुपए से 3,00,000 रुपए तक	10 प्रतिशत
3,00,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
5,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत।

ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष की या अधिक की आयु का है, छूट की सीमा बढ़ाकर 2,40,000 रुपए किए जाने का प्रस्ताव है। ऐसे मामलों में कुल आय पर आय-कर की नई दरें निम्नानुसार होंगी,—

2,40,000 रुपए तक	कुछ नहीं
2,40,001 रुपए से 3,00,000 रुपए तक	10 प्रतिशत
3,00,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
5,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

अनुसूची 1 के भाग 3 के पैरा क में आने वाले व्यक्तियों की दशा में अब कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

इस भाग का पैरा ख प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करता है। ऐसी दशाओं में, आय-कर की दरें वही बनी रहेंगी, जो निर्धारण वर्ष 2009-2010 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं। कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

इस भाग का पैरा ग प्रत्येक फर्म की दशा में आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करता है। ऐसी दशाओं में, आय-कर की दरें वही बनी रहेंगी, जो निर्धारण वर्ष 2009-2010 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं। फर्म की दशा में अब कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

इस भाग का पैरा घ प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करता है। ऐसी दशाओं में, कर की दरें वही बनी रहेंगी, जो निर्धारण वर्ष 2009-2010 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं। कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

इस भाग का पैरा ङ कंपनियों की दशा में आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करता है। कंपनियों की दशा में, कर की दरें वही बनी रहेंगी, जो निर्धारण वर्ष 2009-2010 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं। कंपनी की दशा में, अधिभार उसी दर से और उन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए उद्गृहीत किया जाएगा, जो निर्धारण वर्ष 2009-2010 के लिए लागू थी।

पहली अनुसूची के भाग 3 के अधीन आने वाले सभी मामलों में दो प्रतिशत की दर से “शिक्षा उपकर” और एक प्रतिशत की दर से “उच्चतर और माध्यमिक शिक्षा उपकर” उद्गृहीत किया जाता रहेगा। पहली अनुसूची के भाग 2 के अधीन आने वाले मामलों में शिक्षा उपकर और उच्चतर और माध्यमिक शिक्षा उपकर देशी कंपनी और ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के मामले में, जो भारत में निवासी है, स्रोत पर कटौती किए गए या संगृहीत किए गए कर पर उद्गृहीत नहीं किया जाएगा। दोनों ही उपकर वेतन के संदायों के मामले में स्रोत पर कटौती किए गए कर पर लागू रहेंगे।

खंड 3—आय-कर अधिनियम की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है जो परिभाषाओं से संबंधित है।

आय-कर अधिनियम की उक्त धारा का खंड (15) “पूर्त प्रयोजन” पद को निर्धन को राहत, शिक्षा, चिकित्सा राहत और आम जनता की उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य को पूरा करने के रूप में परिभाषित करता है: परंतु आम जनता की उपयोगिता

के किसी अन्य उद्देश्य को पूरा करना तब पूर्ण प्रयोजन नहीं होगा जब उसमें किसी व्यापार, वाणिज्य या कारबार की प्रकृति के किसी क्रियाकलाप को या किसी व्यापार, वाणिज्य या कारबार के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने के क्रियाकलाप के संबंध में उपकर या फीस या किसी अन्य प्रतिकर के लिए, ऐसे क्रियाकलाप से आय के उपयोग, विनियोजन या धारण की कोई प्रकृति होते हुए, अंतर्वलित है।

धारा 2(15) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे पर्यावरण के संरक्षण (जिसके अंतर्गत जलाशय, वन और वन्यजीव हैं) और धारा 2(15) के अधीन “पूर्व प्रयोजन” की परिभाषा निर्धारण को राहत, शिक्षा और चिकित्सा राहत के साथ कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं के संरक्षण को इसके अंतर्गत लाया जा सके।

उपरोक्त संशोधन को 1 अप्रैल, 2009 से भूतलक्षी रूप से लागू करने का प्रस्ताव है और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2009-2010 तथा पश्चात्पूर्व वर्षों के संबंध में लागू होगा।

“निर्वाचन न्यास” को इस रूप में परिभाषित करने के लिए उक्त धारा में एक नया खंड (22ककक) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है कि “निर्वाचन न्यास” से ऐसा कोई न्यास अभिप्रेत है जो बोर्ड द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में बनाई गई स्कीम के अनुसार अनुमोदित किया गया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-2011 तथा पश्चात्पूर्व वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त धारा के खंड (23) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, “फर्म”, “भागीदार” और “भागीदारी” पदों का अर्थ भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 से लिया गया है किंतु “भागीदार” पद के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसे अवयस्क होते हुए भागीदारों के फायदों के लिए सम्मिलित किया गया है। उक्त धारा के खंड (23) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे “फर्म”, “भागीदार” और “भागीदारी” शब्दों को सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी अस्तित्व के संदर्भ में परिभाषित किया जा सके और “फर्म”, “भागीदार” और “भागीदारी” की परिभाषा को भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन विरचित भागीदारी के संदर्भ में बनाया रखा जा सके।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-2011 तथा पश्चात्पूर्व वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त धारा का खंड (24) यह उपबंध करता है कि उसमें निर्दिष्ट किसी न्यास या संस्था या संगम या विश्वविद्यालय या शिक्षा संस्थाओं या अस्पताल या अन्य संस्था द्वारा प्राप्त स्वैच्छिक अभिदायों को आय माना जाएगा। उक्त धारा के खंड (24) के उपखंड (ii) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उसमें आय की परिभाषा के अंतर्गत निर्वाचन न्यासों द्वारा प्राप्त स्वैच्छिक अभिदायों को भी सम्मिलित किया जा सके। प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-2011 तथा पश्चात्पूर्व वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त धारा में एक नया खंड (29खक) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे “विनिर्माण” पद को परिभाषित किया जा सके। “विनिर्माण” पद से उसके व्याकरणिय परिवर्तनों सहित किसी निर्जीव भौतिक पदार्थ या वस्तु या चीज में परिवर्तन अभिप्रेत है, जिसके परिणामस्वरूप उस पदार्थ या वस्तु या चीज का नए और भिन्न पदार्थ या वस्तु या चीज में रूपांतरण होता है जिसका भिन्न नाम, प्रकृति और उपयोग होता है, या किसी भिन्न रसायनिक संरचना या एकीकृत संरचना के साथ एक नए और भिन्न पदार्थ या वस्तु या चीज को अस्तित्व में लाता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2009-2010 तथा पश्चात्पूर्व वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त धारा का खंड (48) “जीरो कूपन बंधपत्र” को ऐसे बंधपत्र के रूप में परिभाषित करता है जो 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किसी अवसंरचना पूंजी कंपनी या अवसंरचना पूंजी निधि या पब्लिक सेक्टर कंपनी द्वारा जारी किया गया है, जिसके संबंध में ऐसी कंपनी या निधि या पब्लिक सेक्टर कंपनी से परिपक्वता या

मोचन से पूर्व कोई संदाय और फायदा प्राप्त नहीं किया जाता है या प्राप्य नहीं है और जिसे केंद्रीय सरकार इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। प्रस्तावित संशोधन उक्त खंड (48) में “अनुसूचित बैंक” को सम्मिलित करने के लिए है। उक्त खंड में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे अनुसूचित बैंक को परिभाषित किया जा सके, जिसका वही अर्थ है जो धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (vii) के उपखंड (ग) के स्पष्टीकरण के खंड (ii) में है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होगा।

खंड 4—आय-कर अधिनियम की धारा 10 का संशोधन करने के लिए है जो कुल आय में सम्मिलित न की गई आय से संबंधित है। उक्त धारा के खंड (10ग) में एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां ऐसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या सेवा की समाप्ति या स्वैच्छिक पृथक्करण पर प्राप्त की गई या प्राप्य किसी रकम की बाबत किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 89 के अधीन निर्धारित को कोई राहत अनुज्ञात की गई है, वहां इस खंड के अधीन ऐसे या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के संबंध में उसे कोई छूट अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-2011 तथा पश्चात्पूर्व वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त धारा के खंड (23ग) का चौदहवां परंतुक यह उपबंध करता है कि यदि पहले परंतुक में निर्दिष्ट निधि या न्यास या संस्था या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या कोई अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था 1 जून, 2006 को या उसके पश्चात् छूट की मंजूरी या उसके बने रहने के प्रयोजनों के लिए कोई आवेदन करती है तो ऐसा आवेदन उस निर्धारण वर्ष के, जिससे छूट चाही गई है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय किया जाएगा। उक्त परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे ऐसे आवेदन को उस सुसंगत निर्धारण वर्ष के 30 सितंबर को या उसके पूर्व फाइल करना अनुज्ञात किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2009-2010 के संबंध में लागू होगा।

उक्त धारा के खंड (23घ) के स्पष्टीकरण का खंड (क) किसी पब्लिक सेक्टर बैंक या पब्लिक वित्तीय संस्था द्वारा स्थापित या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य पारस्परिक निधि की आय को छूट के लिए उपबंध करता है। उक्त खंड (23घ) का स्पष्टीकरण, अन्य बातों के साथ, “पब्लिक सेक्टर बैंक” अभिव्यक्ति को भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) में यथापरिभाषित समनुषंगी बैंक, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 3 के अधीन या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 3 के अधीन गठित तत्स्थानी नए बैंक के रूप में परिभाषित करता है। उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा “अन्य पब्लिक सेक्टर बैंकों” के प्रवर्ग में सम्मिलित बैंक को भी खंड (23घ) की परिधि में लाया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-2011 तथा पश्चात्पूर्व वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त धारा में नया खंड (44) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) के उपबंधों के अधीन 27 फरवरी, 2008 को स्थापित न्यास के लिए या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को प्राप्त कोई आय ऐसी पेंशन प्रणाली उस न्यास की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2009-2010 तथा पश्चात्पूर्व वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 5—आय-कर अधिनियम की धारा 10क का संशोधन करने के लिए है जो मुक्त व्यापार क्षेत्र आदि में स्थापित नए उपक्रमों की बाबत विशेष उपबंध से संबंधित है।

विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि कोई कटौती किसी उपक्रम के लिए 1 अप्रैल, 2011 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

उक्त धारा की उपधारा (1) के चौथे परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे निर्धारण वर्ष 2010-2011 के लिए कटौती अनुज्ञात की जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

खंड 6—आय-कर अधिनियम की धारा 10कक का संशोधन करने के लिए है जो विशेष आर्थिक जोनों में नए रूप से स्थापित इकाइयों की बाबत विशेष उपबंध से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (7) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन वस्तुओं या चीजों या सेवाओं के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ वह रकम होगी जिसका ऐसे उपक्रम के, जो यूनिट है, कारबार के लाभ से वही अनुपात है जो ऐसी वस्तुओं या चीजों या सेवाओं की बाबत निर्यात आवर्त का निर्धारिती द्वारा किए जा रहे कारबार के कुल आवर्त से है।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे “निर्धारिती” शब्द के स्थान पर, “उपक्रम” शब्द रखा जा सके। प्रस्तावित संशोधन के पश्चात् पूर्वोक्त धारा के अधीन कटौती की उपक्रम के कुल लाभ के निर्देश के प्रति संगणना की जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-2011 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 7—आय-कर अधिनियम की धारा 10ख का संशोधन करने के लिए है जो नए स्थापित शत-प्रतिशत निर्यातान्मुख उपक्रमों की बाबत विशेष उपबंध से संबंधित है।

विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि कोई कटौती किसी उपक्रम के लिए 1 अप्रैल, 2011 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

उक्त धारा के तीसरे परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे निर्धारण वर्ष 2011-2012 के पूर्ववर्ती वर्ष 2010-2011 के लिए कटौती अनुज्ञात की जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

खंड 8—नई धारा 13ख को अंतःस्थापित करने के लिए है जो निर्वाचन न्यासों द्वारा प्राप्त स्वैच्छिक अभिदायों से संबंधित हैं। प्रस्तावित नई धारा यह उपबंध करती है कि किसी निर्वाचन न्यास द्वारा प्राप्त किसी स्वैच्छिक अभिदाय को ऐसे निर्वाचन न्यास की पूर्ववर्ती वर्ष की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, यदि (क) ऐसा निर्वाचन न्यास लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी राजनैतिक दल को उक्त पूर्ववर्ष के दौरान उसे प्राप्त सकल संदानों के पचानवे प्रतिशत को किसी पूर्ववर्ती वर्ष से अग्रणीत अधिशेषों, यदि कोई हों, को उक्त पूर्ववर्ष के दौरान संवितरित करता है; और (ख) ऐसा निर्वाचन न्यास केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार कार्य करता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-2011 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 9—आय-कर अधिनियम की धारा 17 का संशोधन करने के लिए है, जो “वेतन”, “परिलब्धि” और “वेतन के बदले में लाभ” की परिभाषा से संबंधित है।

उक्त धारा के खंड (2) के उपखंड (vi) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि परिलब्धि के अंतर्गत किसी अन्य अनुषंगी फायदे या सुख-सुविधा का मूल्य भी है, जो विहित की जाए, उन अनुषंगी फायदों को छोड़कर जो अध्याय 12ज के अधीन कर से प्रभावी हैं।

उक्त उपखंड को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे अन्य बातों के साथ यह उपबंध किया जा सके कि परिलब्धियों के अंतर्गत नियोजक या पूर्व नियोजक द्वारा निर्धारिती को निःशुल्क या रियायती दर पर, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आबंटित या अंतरित किसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य साधारण शेषों का मूल्य भी है।

उक्त खंड (2) में उपखंड (vii) अंतःस्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि परिलब्धि के अंतर्गत निर्धारिती की बाबत नियोजक द्वारा किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में एक लाख रुपए की सीमा तक किसी अभिदाय की रकम भी है।

उपखंड (viii) अंतःस्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि परिलब्धि के अंतर्गत किसी अन्य अनुषंगी फायदे या सुख-सुविधा का मूल्य, जो विहित की जाए, भी कर से प्रभावी होगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-2011 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड 10—आय-कर अधिनियम की धारा 28 का संशोधन करने के लिए है जो कारबार या वृत्ति के लाभों और अभिलाभों से संबंधित है।

विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि उक्त धारा में विनिर्दिष्ट आय “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभावी होगी।

उक्त धारा में यह उपबंध करने के लिए एक नया खंड (vii) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है कि किसी पूंजी आस्ति के कारण (भूमि या साख से भिन्न) जो ध्वस्त, नष्ट, परित्यक्त या अंतरित की जा रही है, नकदी या वस्तु में प्राप्त या प्राप्य कोई राशि या धन “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभावी होगी यदि ऐसी पूंजी आस्ति पर संपूर्ण व्यय को धारा 35कग के अधीन, जिसमें विनिर्दिष्ट कारबार व्यय की बाबत कटौती से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं, ऐसी पूंजी आस्ति पर संपूर्ण व्यय को अनुज्ञात किया गया है और आय-कर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-2011 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा। प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

खंड 11—आय-कर अधिनियम की धारा 32 का संशोधन करने के लिए है जो अवक्षयण से संबंधित है।

आय-कर अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 3 का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जो धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन अवक्षयण के प्रयोजन के लिए, “आस्तियों” और “आस्ति समूह” को परिभाषित करता है।

धारा 32 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 3 से “आस्ति समूह” पद का लोप करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधन के परिणामस्वरूप “आस्ति समूह” पद का वही अर्थ होगा, जो उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (11) में है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-2011 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 12—आय-कर अधिनियम की धारा 35 का संशोधन करने के लिए है जो वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय से संबंधित है।

धारा 35 की उपधारा (2कख) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में ऐसी किसी कंपनी के संबंध में जो जैव प्रौद्योगिकी के कारबार में लगी हुई है या जो किन्हीं औषधियों, भेषजियों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कंप्यूटरों, दूरसंचार उपकरणों, रसायनों अथवा बोर्ड द्वारा अधिसूचित किसी अन्य वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन में लगी हुई है, को इस प्रकार उपगत व्यय के डेढ़ गुने के बराबर धनराशि के और जिसने विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आंतरिक वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास सुविधा पर व्यय (भूमि और भवन पर व्यय के सिवाय) उपगत किया है, कटौती के लिए उपबंध है।

उक्त कटौती के फायदे को ऐसे सभी कारबारों तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है जो ग्यारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन में लगे हुए हैं।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-2011 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 13—आय-कर अधिनियम में नई धारा 35कघ अंतःस्थापित करने के लिए है, जो पूंजी प्रकृति पर व्यय की बाबत कटौती से संबंधित है।

प्रस्तावित संशोधन विनिर्दिष्ट कारबार के वर्ष के दौरान पूर्णतः या भागतः उपगत पूंजी प्रकृति के किसी व्यय को अनुज्ञात करने का उपबंध करता है। विनिर्दिष्ट कारबार को कृषि उत्पाद, डेयरी उत्पादों, अन्य संबद्ध मदों के भंडारण या परिवहन के लिए शीत श्रृंखला सुविधाओं के प्रचालन की स्थापना करने के कारबार के अर्थ में परिभाषित किया गया है। इसमें कृषि उत्पाद के भंडारण और क्रास-कंट्री प्राकृतिक गैस या कच्चे तेल या पेट्रोलियम तेल के वितरण के लिए पाइपलाइनों का नेटवर्क बिछाने और प्रचालन का जिसके अंतर्गत भंडारण सुविधाएं भी हैं, जो ऐसे नेटवर्क का अभिन्न भाग हैं, कारबार भी सम्मिलित होगा।

प्रस्तावित धारा अन्य बातों के साथ विनिर्दिष्ट कारबार द्वारा वर्ष के दौरान किसी भूमि या साख या वित्तीय संस्था के अर्जन पर उपगत व्यय से भिन्न उपगत किसी पूंजी व्यय की बाबत उस धारा में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन शत प्रतिशत कटौती अनुज्ञात करेगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-2011 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 14—आय-कर अधिनियम की धारा 36 का संशोधन करने के लिए है जो अन्य कटौतियों से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (iii) के स्पष्टीकरण के खंड (i) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध “छूट” पद की बंधपत्र जारी करने वाली अवसंरचना पूंजी कंपनी या अवसंरचना पूंजी निधि या पब्लिक सेक्टर कंपनी द्वारा प्राप्त की गई या प्राप्य रकम और ऐसे बंधपत्र की परिपक्वता या मोचन पर उस कंपनी या निधि या पब्लिक सेक्टर कंपनी द्वारा संदेय रकम के बीच के अंतर के रूप में परिभाषा के लिए उपबंध करते हैं।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे पब्लिक सेक्टर कंपनी के पश्चात् “अनुसूचित बैंक” को सम्मिलित किया जा सके। प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा।

उक्त उपधारा का खंड (viii) पात्र कारबार क्रियाकलापों से व्युत्पन्न लाभों के बीस प्रतिशत से अनधिक ऐसी रकम के लिए, जो ऐसी आरक्षिती में लाई गई है, पात्र कारबार करने वाले पात्र एककों द्वारा सृजित और अनुरक्षित किसी विशेष आरक्षिती की बाबत कटौती से संबंधित है।

उक्त उपधारा (1) के खंड (viii) का स्पष्टीकरण पूर्वोक्त धारा के अधीन कटौतियों का उपभोग करने के प्रयोजनों के लिए, “विनिर्दिष्ट एकक” और “पात्र कारबार” पदों को परिभाषित करता है। उक्त स्पष्टीकरण के खंड (ख) के उपखंड (i) के अधीन, “निवास प्रयोजन के लिए भारत में आवासों सन्निर्माण या क्रय” शब्दों के स्थान पर “आवास विकास” शब्द प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-2011 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त धारा की उपधारा (1) का खंड (xvi) यह उपबंध करता है कि निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ष के दौरान अपने कारबार के अनुक्रम में किए गए कराधेय वस्तु संव्यवहारों की बाबत संदत्त वस्तु संव्यवहार कर की कोई रकम, यदि ऐसे कराधेय वस्तु संव्यवहारों से उद्भूत होने वाली आय “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन संगणित आय में सम्मिलित की गई है कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

उक्त खंड (xvi) का 1 अप्रैल, 2009 से भूतलक्षी प्रभाव से लोप करने का प्रस्ताव है।

खंड 15—कटौती न करने योग्य रकमों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 40 के खंड (ख) के उपखंड (v) का संशोधन करने के लिए है।

उक्त खंड का विद्यमान उपखंड (v), अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करता है कि ऐसे कार्यकारी भागीदारों की दशा में, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक के, चाहे

वे किसी भी नाम से ज्ञात हो, संदाय निम्नलिखित सीमाओं के अधीन रहते हुए कटौती के रूप में अनुज्ञात किए जाएंगे, अर्थात् :—

(1) ऐसी फर्म की दशा में, जो धारा 44कक में निर्दिष्ट वृत्ति चलाती है या जो उस धारा के प्रयोजन के लिए अधिसूचित की जाती है,—

(क) बही लाभ के प्रथम 1,00,000 रुपए 50,000 रुपए या बही लाभ के पर या किसी हानि की दशा में 90 प्रतिशत की दर से, इनमें जो भी अधिक हो;

(ख) बही लाभ के अगले 1,00,000 रुपए पर 60 प्रतिशत की दर से ;

(ग) बही लाभ के अतिशेष पर 40 प्रतिशत की दर से ;

(2) किसी अन्य फर्म की दशा में,—

(क) बही लाभ के प्रथम 75,000 रुपए पर या किसी हानि की दशा में 50,000 रुपए या बही लाभ के 90 प्रतिशत की दर से, इनमें जो भी अधिक हो ;

(ख) बही लाभ के अगले 75,000 रुपए पर 60 प्रतिशत की दर से ;

(ग) बही लाभ के अतिशेष पर 40 प्रतिशत की दर से।

उपरोक्त सीमा को पुनरीक्षित करने और वृत्तिक फर्मों और गैर-वृत्तिक फर्मों, दोनों के लिए एक समान सीमा का उपबंध करने का प्रस्ताव है —

(क) बही लाभ के प्रथम 3,00,000 रुपए पर या किसी हानि की दशा में 1,50,000 रुपए या बही लाभ के 90 प्रतिशत की दर से, इनमें जो भी अधिक हों;

(ख) बही लाभ के अतिशेष पर 60 प्रतिशत की दर से।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-2011 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 16—आय-कर अधिनियम की धारा 40क का संशोधन करने के लिए है जो ऐसे व्ययों या संदायों के संबंध में है जो कतिपय परिस्थितियों में कटौती योग्य नहीं हैं।

उक्त धारा की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि जहां निर्धारिती कोई ऐसा व्यय उपगत करता है जिसकी बाबत किसी व्यक्ति को एक दिन में किया गया संदाय या कुल संदाय बीस हजार रुपए से अधिक राशि के बैंक पर लिखे पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट से भिन्न किसी अन्य रीति से किया जाता है, वहां ऐसे व्यय की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

उपधारा (3क) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि जहां किसी व्यय के लिए निर्धारिती द्वारा उपगत किसी दायित्व की बाबत किसी वर्ष के निर्धारण में मोक अनुज्ञात किया गया है और बाद में किसी पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती उसकी बाबत संदाय बैंक पर लिखे पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट से भिन्न किसी अन्य रीति से करता है, वहां इस प्रकार किया गया संदाय कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ समझा जाएगा तथा तदनुसार, यदि किसी दिन व्यक्ति को किया गया संदाय या कुल संदाय बीस हजार रुपए से अधिक हो जाता है, पश्चात्पूर्वी वर्ष की आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगा।

दूसरा परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि माल वाहनों को चलाने, भाड़े पर देने या पट्टे पर देने के लिए किए गए संदाय की दशा में उपधारा (3) और उपधारा (3क) में विनिर्दिष्ट बीस हजार रुपए की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर पैंतीस हजार रुपए किया जाएगा।

प्रस्तावित संशोधन 1 अक्टूबर, 2009 से प्रभावी होगा।

खंड 17—खंड आय-कर अधिनियम की धारा 43 का संशोधन करने के लिए है जो कारबार या वृत्ति के लाभों और अभिलाभों से आय से सुसंगत कतिपय पदों की परिभाषा से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि "वास्तविक लागत" से निर्धारित की आस्तियों की वास्तविक लागत अभिप्रेत है जिसमें से उसकी लागत के भाग को घटाकर आती है जो किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा प्रत्यक्षतः या परोक्षतः चुकाई गई है।

प्रस्तावित संशोधन उक्त उपधारा में यह उपबंध करने के लिए एक नया स्पष्टीकरण 13 अंतःस्थापित करने के लिए है कि ऐसी पूंजी आस्ति की, जिस पर विनिर्दिष्ट कारबार पर व्यय की बाबत कटौती से संबंधित धारा 35कघ के अधीन कटौती का दावा किया गया है और जिससे आय-कर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा के रूप में अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, (क) निर्धारित की दशा में और (ख) किसी अन्य दशा में "शून्य" मानी जाएगी यदि पूंजी आस्ति कंपनी के परिसमापन पर वितरण पर दान के रूप में या धारा 47 के खंड (iv), खंड (v), खंड (vi), खंड (vix) में यथा निर्दिष्ट अंतरण के किसी ढंग द्वारा अर्जित या प्राप्त की जाती है।

उक्त धारा के खंड (ग) में स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जो यह स्पष्ट करेगा कि जहां निर्धारित की आय भागतः कृषि से और भागतः, "कारबार और वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य निर्धारित की कारबार से व्यपगत होती है, पूर्ववर्ष से पहले अर्जित आस्ति के अवलिखित मूल्य की संगणना करने के लिए अवक्षयण की कुल रकम की संगणना ऐसे की जाएगी मानो संपूर्ण आय "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन निर्धारित की कारबार से व्युत्पन्न हुई हो और इस प्रकार संगणित अवक्षयण आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन पूर्ववर्ष के दौरान वास्तव में अनुज्ञात किया गया अवक्षयण माना जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-2011 तथा पश्चात्पूर्व वर्षों के संबंध में लागू होगा। प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

खंड 18—आय-कर अधिनियम की धारा 44कक का संशोधन करने के लिए है जो वृत्ति या कारबार चलाने वाले कतिपय व्यक्तियों द्वारा लेखाओं के रखे जाने से संबंधित है।

उक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन उक्त धारा की उपधारा (1) में वर्णित वृत्तियों से भिन्न कारबार या वृत्ति चलाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह बाध्यकर होगा कि वह अपने कारबार या वृत्ति के लेखे रखे, यदि ऐसे कारबार या वृत्ति से उसकी आय एक लाख बीस हजार रुपए से अधिक है या उस कारबार या वृत्ति में, उस पूर्ववर्ष से पूर्ववर्ती तीन वर्षों में से किसी एक वर्ष में दस लाख रुपए से अधिक है या जहां उक्त कारबार या वृत्ति किसी पूर्ववर्ष में नए रूप से स्थापित की गई है वहां यदि ऐसे कारबार या वृत्ति से उसकी आय के एक लाख बीस हजार रुपए से अधिक होने की संभावना है या उस कारबार या वृत्ति में, यथास्थिति, उसका कुल विक्रय, आवर्त या सकल प्राप्तियां ऐसे पूर्ववर्ष के दौरान दस लाख रुपए से अधिक होने की संभावना है या जहां कारबार से लाभ और अभिलाभ धारा 44कघ या धारा 44कड या धारा 44कच या धारा 44खख या धारा 44खखख के अधीन निर्धारित की कारबार से लाभ और अभिलाभ समझे गए हैं और निर्धारित ने यह दावा किया है कि उसकी आय ऐसी लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज जो अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उक्त व्यक्ति की कुल आय की संगणना करने के लिए निर्धारण अधिकारी को समर्थ बनाए, रखने और अनुरक्षित रखने के लिए ऐसे पूर्ववर्ष के दौरान, यथास्थिति, उसके कारबार के लाभ और अभिलाभ समझे जाने वाले लाभों या अभिलाभों से कम है।

प्रस्तावित संशोधन यह उपबंध करने के लिए है कि लेखा बहियों को बनाए रखने की अपेक्षा ऐसे निर्धारित की दशा में लागू होगी जो खंड 20 द्वारा नई प्रस्तावित धारा 44कघ के अधीन आता है, यदि वह यह दावा करता है कि उस कारबार से लाभ और अभिलाभ धारा 44कघ की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार संगणित लाभों और अभिलाभों से निम्नतर हैं और उसकी आय उस अधिकतम रकम से अधिक है जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2011-2012 तथा पश्चात्पूर्व वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 19—आय-कर अधिनियम की धारा 44कख का संशोधन करने के लिए है जो वृत्ति या कारबार चलाने वाले कतिपय व्यक्तियों द्वारा लेखाओं की लेखापरीक्षा से संबंधित है।

उक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन कारबार चलाने वाले व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह अपने लेखाओं की विनिर्दिष्ट तारीख से पहले किसी लेखापरीक्षा द्वारा संपरीक्षा कराए यदि पूर्ववर्ष या पूर्ववर्षों के लिए कारबार में उसका कुल विक्रय, आवर्त या सकल प्राप्तियां चालीस लाख रुपए से अधिक हैं। कोई वृत्ति चलाने वाले व्यक्ति का भी यह दायित्व होगा कि वह उक्त तारीख के पूर्व अपने लेखाओं की संपरीक्षा कराए यदि पूर्ववर्ष या पूर्ववर्षों के लिए वृत्ति में उसकी सकल प्राप्तियां दस लाख रुपए से अधिक हो जाती है या अधिक हैं। ऐसे व्यक्तियों से यह अपेक्षा भी होगी कि वे विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व विहित प्ररूप में संपरीक्षा की रिपोर्ट अभिप्राप्त करें। ये अपेक्षाएं 1 अप्रैल, 1985 को प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष या किसी पश्चात्पूर्व वर्ष निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष या पूर्ववर्षों के लिए लेखाओं के संबंध में भी लागू होंगी। उन दशाओं में जहां किसी व्यक्ति के लेखाओं की किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन संपरीक्षा कराया जाना अपेक्षित है तो यह पर्याप्त होगा यदि उक्त व्यक्ति विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व ऐसी अन्य विधि के अधीन अपने लेखाओं की संपरीक्षा करा लेता है और उक्त तारीख से पूर्व ऐसी अन्य विधि के अधीन अपेक्षित संपरीक्षा रिपोर्ट के अतिरिक्त विहित प्ररूप में संपरीक्षा रिपोर्ट अभिप्राप्त कर लेता है। इस उपबंध के प्रयोजनों के लिए "लेखापाल" पद का वही अर्थ होगा जो आय-कर अधिनियम की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में है। पूर्ववर्ष के निर्धारित की लेखाओं के संबंध में "विनिर्दिष्ट तारीख" पद से निर्धारण वर्ष का 30 सितंबर अभिप्रेत है।

प्रस्तावित संशोधन यह उपबंध करने के लिए है कि ऐसे निर्धारित की दशा में जो खंड 19 द्वारा नई प्रस्तावित धारा 44कघ के अधीन आता है यदि वह यह दावा करता है कि कारबार से लाभ और अभिलाभ धारा 44कघ की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार संगणित लाभों और अभिलाभों से निम्नतर हैं और यदि उसकी आय उस अधिकतम रकम से अधिक है जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2011-2012 तथा पश्चात्पूर्व वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 20—आय-कर अधिनियम की धारा 44कघ को प्रतिस्थापित करने के लिए है जो उपधारा के आधार पर कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है।

उक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि धारा 28 से धारा 43ग में इसके प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी निर्धारित की दशा में जो सिविल संनिर्माण या सिविल संनिर्माण के लिए श्रम का प्रदाय करने के कारबार में लगा हुआ है, यथास्थिति, निर्धारित को ऐसे कारबार मद्दे पूर्ववर्ष में संदत्त या संदेय सकल प्राप्ति के आठ प्रतिशत के बराबर राशि या निर्धारित द्वारा अपनी आय की विवरणी में घोषित पूर्वोक्त राशि से उच्चतर राशि ऐसे "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य लाभ और अभिलाभ समझी जाएगी।

प्रस्तावित नई धारा 44कघ ऐसे निर्धारित की जो धारा 44कड में निर्दिष्ट माल वाहनों को चलाने, भाड़े पर या पट्टे पर देने के कारबार के सिवाय किसी कारबार में लगा हुआ है, यथास्थिति, ऐसे कारबार मद्दे पूर्ववर्ष में कुल आवर्त या सकल प्राप्तियों के आठ प्रतिशत के बराबर राशि पर या निर्धारित द्वारा अर्जित किए जाने का दावा की गई पूर्वोक्त राशि से उच्चतर राशि पर आय के प्राक्कलन के लिए उपबंध करने के लिए है। यह स्कीम ऐसे निवासी निर्धारित को लागू होगी जो व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त कुटुंब और भागीदारी फर्म है किंतु सीमित दायित्व भागीदारी फर्म नहीं है और जिसका कुल आवर्त चालीस लाख रुपए से अधिक नहीं है।

यह और प्रस्ताव है कि यह स्कीम ऐसे निर्धारित को लागू नहीं होती है जिसने किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में धारा 10क, धारा 10कक, धारा 10ख, और धारा 10खक में से किसी के अधीन छूट या "ग—कतिपय आय की बाबत कटौतियां" शीर्ष के अधीन अध्याय 6क के किन्हीं उपबंधों के अधीन कटौती का दावा किया है। इस स्कीम के अधीन निर्धारित के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे धारा 30 से धारा 38 और धारा 40 के खंड (ख) के अधीन कटौतियां अनुज्ञात की गई हैं। तदनुसार, निर्धारित के कारबार के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किसी आस्ति का अवलिखित मूल्य इस प्रकार संगणित किया गया समझा जाएगा मानो निर्धारित ने सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए अवक्षयण की बाबत कटौती का दावा किया था और वास्तव में वह अनुज्ञात की गई थी।

यह भी प्रस्ताव है कि अग्रिम कर के संदाय से संबंधित आय-कर अधिनियम के अध्याय 17ग के उपबंध ऐसे निर्धारिती को लागू नहीं होंगे जो ऐसे कारबार की बाबत उपरोक्त स्कीम का विकल्प देता है।

यह भी प्रस्ताव है कि निर्धारिती से ऐसी आय की बाबत धारा 44कक के अधीन लेखा बहियां रखने और धारा 44कख के अधीन लेखाओं की संपरीक्षा कराने की अपेक्षा नहीं होगी जब तक कि निर्धारिती यह दावा नहीं करता है कि पूर्वोक्त कारबार से लाभ और अभिलाभ धारा 44कघ की उपधारा (1) के अधीन उसकी आय समझे गए लाभों और अभिलाभों से निम्नतर हैं तथा उसकी आय उस अधिकतम रकम से अधिक है जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है। प्रस्तावित संशोधन पद “पात्र निर्धारिती” और “पात्र कारबार” को भी परिभाषित करती है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2011-2012 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 21—माल वाहन चलाने, भाड़े या पट्टे पर देने के कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 44कड का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी ऐसे निर्धारिती की दशा में, जिसके स्वामित्व में दस से अधिक माल वाहन नहीं हैं। और जो ऐसे माल वाहनों को चलाने, भाड़े या पट्टे पर देने के कारबार में लगा हुआ है, “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य ऐसे कारबार की आय पूर्ववर्ष में उसके स्वामित्व में के सभी माल वाहनों से लाभों और अभिलाभों का योग समझी जाती है। पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2), अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि भारी माल यानों की दशा में, ऐसे प्रत्येक माल वाहन से लाभ और अभिलाभ तीन हजार पांच सौ रुपए के बराबर रकम और भारी माल यानों से भिन्न यानों की दशा में, तीन हजार एक सौ पचास रुपए के बराबर की रकम होगी जो ऐसे प्रत्येक मास या उसके किसी भाग के लिए, जिसके दौरान यान निर्धारिती के स्वामित्व में रहते हों या निर्धारिती द्वारा अपनी आय की विवरणी में यथाघोषित पूर्वोक्त रकम से उच्चतर कोई रकम होगी।

यह प्रस्ताव है कि (क) भारी माल यानों की दशा में, प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए तीन हजार पांच सौ रुपए की रकम को बढ़ाकर पांच हजार रुपए करने या निर्धारिती द्वारा वस्तुतः अर्जित किए जाने का दावा की गई रकम, इनमें से जो भी अधिक हो, (ख) भारी माल यानों से भिन्न यानों की दशा में, प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए तीन हजार एक सौ पचास रुपए की रकम को बढ़ाकर चार हजार पांच सौ रुपए करने या निर्धारिती द्वारा वस्तुतः अर्जित किए जाने का दावा की गई रकम, इनमें से जो भी अधिक हो, से पूर्वोक्त लाभों और अभिलाभों की रकमों को बढ़ाया जाए।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2011-2012 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 22—फुटकर कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 44कच का लोप करने के लिए है।

उक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध ऐसे निर्धारिती की, जो माल के फुटकर व्यापार के कारबार में लगा हुआ है, और वाणिज्य करता है, यथास्थिति, ऐसे कारबार मद्दे पूर्ववर्ष में कुल आवर्त के पांच प्रतिशत के बराबर राशि पर या ऐसी पूर्वोक्त राशि से निम्नतर राशि पर जो निर्धारिती द्वारा अपनी आय की विवरणी में घोषित की जाए, आय के प्राक्कलन का उपबंध करते हैं।

उक्त धारा में उपधारा (6) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जो यह उपबंध करती है कि उक्त धारा के उपबंध, 1 अप्रैल, 2011 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में विधेयक के खंड 20 के कारण, धारा 44कघ के प्रतिस्थापन को ध्यान में रखते हुए, लागू नहीं होंगे।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होगा।

खंड 23—आय-कर अधिनियम की धारा 49 का संशोधन करने के लिए है, जो अर्जन के कतिपय ढंगों के संदर्भ में लागत से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2कक) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि जहां पूंजी अभिलाभ शेयरों, डिबेंचरों या वारंटों के अंतरण से उद्भूत होता है जिसका मूल्य धारा 17 के खंड (2) के अधीन परिलब्धि के मूल्य की संगणना करते समय हिसाब में लिया गया है, वहां ऐसे शेयरों, डिबेंचरों या वारंट के अर्जन की लागत उस उपधारा के अधीन ऐसी परिलब्धि की संगणना के लिए हिसाब में लिया गया मूल्य होगा।

प्रस्तावित संशोधन उक्त उपधारा को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां पूंजी अभिलाभ धारा 17 के खंड (2) के उपखंड (vi) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य साधारण शेयरों के अंतरण से उद्भूत होता है, वहां ऐसी प्रतिभूति या शेयरों के अर्जन की लागत वह उचित बाजार मूल्य होगा जिसे उक्त उपखंड के प्रयोजनों के लिए हिसाब में लिया गया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-2011 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 24—आय-कर अधिनियम की धारा 50ख का संशोधन करने के लिए है जो स्लम्प विक्रय की दशा में पूंजी अभिलाभों की संगणना की लागत के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है।

विद्यमान उपबंधों के अधीन पूर्ववर्ष के दौरान किए गए स्लम्प विक्रय से उद्भूत कोई लाभ या अभिलाभ आय-कर से दीर्घकालिक पूंजी आस्तियों के अंतरण से उद्भूत पूंजी-लाभों के रूप में प्रभार्य होंगे और वह उस पूर्ववर्ष के जिसमें अंतरण हुआ था, आय माने जाएंगे। इसके अतिरिक्त, ऐसी पूंजी आस्तियों के संबंध में जो ऐसे विक्रय के माध्यम से अंतरित उपक्रम या खंड है, ऐसे उपक्रम या खंड का “शुद्ध मूल्य” अर्जन की लागत मानी जाएगी और धारा 48 और धारा 49 के प्रयोजनों के लिए सुधार की लागत मानी जाएगी तथा धारा 48 के दूसरे परंतुक में अंतर्विष्ट उपबंधों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। इस धारा के प्रयोजनों के लिए “शुद्ध मूल्य” ऐसे उपक्रम या खंड के दायित्वों के मूल्य को जो लेखा बहियों में दर्शित किए गए हैं, घटाकर उक्त उपक्रम या खंड की कुल आस्तियों के मूल्य के योग के रूप में परिभाषित किया गया है।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ख) को यह उपबंध करने के लिए प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है कि शुद्ध मूल्य की संगणना करने के लिए कुल आस्तियों का सकल मूल्य, (क) अवक्षयणीय आस्तियों की दशा में, धारा 43 के खंड (6) के उपखंड (ग) की मद (i) की उपमद (इ) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार अवधारित आस्तियों के समूह का अवलिखित मूल्य होगा; (ख) ऐसी पूंजी आस्ति की दशा में जिसकी बाबत संपूर्ण व्यय को धारा 35कघ के अधीन, जो विनिर्दिष्ट कारबार पर व्यय की बाबत कटौती से संबंधित है, कटौती के रूप में अनुज्ञात किया गया है और आय-कर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, शून्य, और (ग) अन्य आस्तियों की दशा में ऐसी आस्तियों का बही मूल्य होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-2011 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा। प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

खंड 25—आय-कर अधिनियम की धारा 50ग का संशोधन करने के लिए है जो कतिपय मामलों में प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है।

उक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन जहां निर्धारिती द्वारा किसी पूंजीगत आस्ति के, जो भूमि या भवन या दोनों हैं, अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भावी प्रतिफल ऐसे अंतरण की बाबत स्टॉप शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए किसी राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा अंगीकार किए गए या निर्धारित मूल्य से कम है तो इस प्रकार अंगीकृत या निर्धारित मूल्य धारा 48 के प्रयोजनों के लिए ऐसे अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भावी प्रतिफल का पूरा मूल्य समझा जाएगा।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उक्त धारा में “या निर्धारित” शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, “या निर्धारित या निर्धारणीय” शब्द रखे जा सकें। विद्यमान स्पष्टीकरण के पश्चात् एक नया स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे कतिपय अभिव्यक्तियों को परिभाषित किया जा सके, अर्थात् (क) “निर्धारणीय” से ऐसे प्राधिकारी को निर्दिष्ट वह कीमत अभिप्रेत है जिसे स्टॉप

मूल्यांकन प्राधिकारी को अंगीकार करना है, भले ही वह तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी ऐसे प्राधिकारी को निर्देशित की गई हो या ऐसे प्राधिकारी को निर्देशित किया जाना अपेक्षित था ।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2009 से प्रभावी होगा ।

खंड 26—अन्य स्रोतों से आय से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 56 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (vi) के विद्यमान उपबंध ऐसी किसी धनराशि को कर के अधीन लाते हैं जिसका सकल मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है, जो बिना प्रतिफल के किसी व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब को उस धारा में यथापरिभाषित नातेदारों से भिन्न व्यक्तियों से प्राप्त होती है । उक्त खंड के परंतुक में कतिपय अपवाद उपबंधित किए गए हैं ।

प्रस्तावित संशोधन प्रतिफल के बिना या अपर्याप्त प्रतिफल के अन्तर्गत सम्पत्तियों को विनिर्दिष्ट करने के लिए है ।

प्रस्तावित प्रस्ताव 1 अक्टूबर, 2009 से प्रभावी होगा ।

उक्त धारा की उपधारा (2) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे एक नया खंड अंतःस्थापित किया जा सके जो यह उपबंध करता है कि धारा 145क की उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रतिकर या वर्धित प्रतिकर पर प्राप्त ब्याज के रूप में आय 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभावी होगी ।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-2011 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 27—आय-कर अधिनियम की धारा 57 का संशोधन करने के लिए है जो कटौतियों से संबंधित है ।

उक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभावी आय की संगणना इसमें निर्दिष्ट कटौतियां करने के पश्चात् की जाएगी ।

उक्त अधिनियम की धारा 57 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (viii) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय की दशा में, ऐसी आय के पचास प्रतिशत के बराबर की धनराशि की कटौती अनुज्ञात की जाएगी और उक्त धारा के किसी अन्य खंड के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-2011 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 28— एक नई धारा 73क अंतःस्थापित करने के लिए है जिसमें विनिर्दिष्ट कारबार की हानियों के अग्रनयन और मुजरे से संबंधित उपबंध में अंतर्विष्ट हैं ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करने के लिए है कि धारा 35कघ में (विनिर्दिष्ट कारबार पर व्यय की बाबत कटौती से संबंधित जिसे आय-कर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा के रूप में अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है) निर्दिष्ट किसी विनिर्दिष्ट कारबार की बाबत संगणित किसी हानि का किसी अन्य विनिर्दिष्ट कारबार के लाभों और अभिलाभों, यदि कोई हों, के लिए मुजरे के सिवाय मुजरा नहीं किया जाएगा । इसके अतिरिक्त प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करने के लिए है कि जहां किसी निर्धारण वर्ष के लिए उपधारा (1) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट कारबार की बाबत संगणित किसी हानि का उपधारा (1) के अधीन पूर्ण रूप से मुजरा नहीं किया गया है वहां उतनी हानि का जिसका मुजरा नहीं किया गया या संपूर्ण हानि का जहां निर्धारित की किसी अन्य विनिर्दिष्ट कारबार से कोई आय नहीं है, इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, अगले निर्धारण वर्ष के लिए अग्रनयन किया जाएगा, और—

(i) उस निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारणीय उसके द्वारा चलाए जा रहे किसी विनिर्दिष्ट कारबार के लाभों और अभिलाभों, यदि कोई हों, के लिए मुजरा किया जाएगा; और

(ii) यदि संपूर्ण हानि का मुजरा नहीं किया जा सकता है तो उस हानि की रकम जिसका मुजरा नहीं किया गया है, अगले निर्धारण वर्ष के लिए अग्रनीत की जाएगी ।

प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है । यह संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-2011 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 29—कुल आय संगणित करने में सकल कुल आय से की जाने वाली कटौतियों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 80क का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि किसी निर्धारित की कुल आय की संगणना करने में उसकी सकल कुल आय से अधिनियम की धारा 80ग से धारा 80प में विनिर्दिष्ट कटौतियां अनुज्ञात होंगी । उक्त धारा यह और उपबंध करती है कि कुल आय की संगणना करने में कटौतियों की कुल रकम किसी भी दशा में निर्धारित की सकल कुल आय से अधिक नहीं होगी ।

उक्त धारा की प्रस्तावित उपधारा (4) यह उपबंध करती है कि जहां किसी निर्धारित की दशा में, किसी उपक्रम या यूनिट या उद्यम या पात्र कारबार के लाभ और अभिलाभों की किसी रकम का किसी निर्धारण वर्ष के लिए शीर्ष "ग— कतिपय आय के संबंध में कटौतियां" के अधीन धारा 10क या धारा 10कक या धारा 10ख या धारा 10खक या इस अध्याय के किन्हीं उपबंधों के अधीन दावा किया जाता है और उसे अनुज्ञात किया जाता है वहां ऐसे लाभ और अभिलाभों के संबंध में और उसकी सीमा तक कटौती उन उपबंधों में से किसी उपबंध के अधीन अनुज्ञात नहीं होगी और किसी भी दशा में, यथास्थिति, ऐसे उपक्रम या यूनिट या उद्यम या पात्र कारबार के लाभ और अभिलाभों से अधिक नहीं होगी ।

प्रस्तावित उपधारा (5) यह उपबंध करती है कि जहां निर्धारित आय की अपनी विवरणी फाइल करने के समय कटौती के लिए अपनी आय की विवरणी में इस अध्याय के अधीन शीर्ष "ग— कतिपय आय के संबंध में कटौतियां" के अधीन धारा 10क या धारा 10कक या धारा 10ख या धारा 10खक या इस अध्याय के किन्हीं उपबंधों के अधीन कटौतियों के लिए दावा करने में असफल रहता है वहां उसे उनके अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

प्रस्तावित उपधारा (6) यह उपबंध करती है कि धारा 10क या धारा 10कक या धारा 10ख या धारा 10खक या अध्याय 6क के किसी उपबंध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, "ग— कतिपय आय की बाबत कटौती" शीर्ष के अधीन जहां किसी उपक्रम या यूनिट या उद्यम या पात्र कारबार के प्रयोजनों के लिए धारित कोई माल या सेवाएं निर्धारित द्वारा किए गए किसी अन्य कारबार को अंतरित की जाती हैं या जहां निर्धारित द्वारा किए गए किसी अन्य कारबार के प्रयोजनों के लिए धारित कोई माल या सेवाएं उपक्रम या यूनिट या उद्यम या पात्र कारबार को अंतरित की जाती हैं और उपक्रम या यूनिट या उद्यम या पात्र कारबार के लेखाओं में यथा अभिलिखित ऐसे अंतरण के लिए प्रतिफल, यदि कोई हो, अंतरण की तारीख को ऐसे माल या सेवाओं के बाजार मूल्य के तत्समान नहीं होता है वहां इस अध्याय के अधीन किसी कटौती के प्रयोजनों के लिए ऐसे उपक्रम या यूनिट या उद्यम या पात्र कारबार के लाभ और अभिलाभों की संगणना इस प्रकार की जाएगी मानो किसी भी दशा में अंतरण उस तारीख को ऐसे माल या सेवाओं के बाजार मूल्य पर किया गया था । उक्त उपधारा में प्रस्तावित स्पष्टीकरण यह उपबंध करता है कि (i) विक्रीत या प्रदाय किए गए किसी माल या सेवाओं के संबंध में वह कीमत अभिप्रेत है जो ऐसे माल या सेवाओं को तब मिलती यदि उसे ऐसे उपक्रम या यूनिट या उद्यम या पात्र कारबार द्वारा, संवैधानिक या विनियामक निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, खुले बाजार में विक्रय किया जाता है ; (ii) अर्जित किए गए किसी माल या सेवाओं के संबंध में वह कीमत अभिप्रेत है जो ऐसे माल या सेवाओं की तब लागत होती जब उसे ऐसे उपक्रम या यूनिट या उद्यम या पात्र कारबार द्वारा, संवैधानिक या विनियामक निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, खुले बाजार में अर्जित किया जाता है । उक्त स्पष्टीकरण स्पष्टीकारक प्रकृति का है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा ।

खंड 30—आय-कर अधिनियम में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पेंशन स्कीम में अभिदाय की बाबत कटौती से संबंधित धारा 80गघ का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि जहां किसी निर्धारिती ने, जो 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य नियोजक द्वारा नियोजित कोई व्यक्ति है, पूर्ववर्ष में ऐसी किसी पेंशन स्कीम के अधीन जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई हो या अधिसूचित की जाए, कोई रकम अपने खाते में संदत्त या निक्षिप्त की है वहां उसे इस प्रकार के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, उसकी कुल आय की संगणना करने में इस प्रकार संदत्त या निक्षिप्त की गई संपूर्ण रकम की, जो पूर्ववर्ष में उसके वेतन के दस प्रतिशत से अधिक न हो, कटौती अनुज्ञात की जाएगी।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे पूर्वोक्त धारा के अधीन कटौतियों को ऐसे किसी निर्धारिती के अतिरिक्त जो 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य नियोजक द्वारा नियोजित कोई व्यक्ति है, किसी अन्य निर्धारिती को भी अनुज्ञात किया जा सके।

उक्त धारा का और संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे नई उपधारा (5) अंतःस्थापित की जा सके जो यह उपबंध करती है कि निर्धारिती के बारे में उस समय यह समझा जाएगा कि उसने पूर्ववर्ष में कोई रकम प्राप्त नहीं की है, यदि उक्त रकम का उपयोग उसी पूर्ववर्ष में वार्षिकी योजना का क्रय करने के लिए किया जाता है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2009-2010 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड 31—आय-कर अधिनियम की धारा 80घघ का संशोधन करने के लिए है जो ऐसे आश्रित के जो निःशक्त व्यक्ति है, चिकित्सीय उपचार सहित उसके भरण-पोषण की बाबत कटौती से संबंधित है।

विद्यमान उपबंधों के अधीन, जहां ऐसे निर्धारिती ने, जो एक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, पूर्ववर्ष के दौरान ऐसे आश्रित पर जो निःशक्त व्यक्ति है, के चिकित्सीय उपचार, प्रशिक्षण या पुनर्वास के लिए कोई व्यय उपगत किया है या ऐसे आश्रित के भरण-पोषण के लिए जो निःशक्त व्यक्ति है, इस निमित्त अनुमोदित जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमाकर्ता या प्रशासक या विनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा इस निमित्त विरचित स्कीम के अधीन कोई रकम जमा की है, वहां निर्धारिती को, विनिर्दिष्ट शर्त के अधीन रहते हुए, पचास हजार रुपए की राशि की कटौती अनुज्ञात की जाएगी। वहां भी जहां ऐसा व्यक्ति गंभीर रूप से निःशक्त है, पचहत्तर हजार रुपए की कटौती अनुज्ञात है।

प्रस्तावित संशोधन उक्त धारा की उपधारा (1) के परंतुक का पचहत्तर हजार रुपए की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर एक लाख रुपए ऐसे आश्रित के लिए जो गंभीर रूप से निःशक्त व्यक्ति है, करने के लिए संशोधन करने के लिए है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-2011 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 32—आय-कर अधिनियम की धारा 80ड की उपधारा (3) के खंड (ग) का संशोधन करने के लिए है जो उच्चतर शिक्षा हेतु लिए गए उधार पर ब्याज की बाबत कटौती से संबंधित है।

विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी व्यक्ति को अपनी उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने या अपने नातेदार को उच्चतर शिक्षा दिलाने के प्रयोजनों के लिए किसी वित्तीय संस्था या किसी अनुमोदित पूर्ण संस्था से लिए गए उधार पर ब्याज की बाबत उक्त धारा के अधीन कटौती अनुज्ञात की जाती है। उक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (ग) के अनुसार, “उच्चतर शिक्षा” से इंजीनियरी, आयुर्विज्ञान, प्रबंध में किसी स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए, या अनुप्रयुक्त विज्ञान या शुद्ध विज्ञान में, जिसके अंतर्गत गणित और सांख्यिकी है, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए, पूर्णकालिक अध्ययन अभिप्रेत है।

खंड (ग) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि “उच्चतर शिक्षा” से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए

प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विद्यालय, बोर्ड या विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसके समतुल्य कोई परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् लिया गया कोई अध्ययन पाठ्यक्रम अभिप्रेत होगा।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-2011 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 33—आय-कर अधिनियम की धारा 80छ का संशोधन करने के लिए है जो कतिपय निधियों, पूर्ण संस्थाओं आदि को दान की बाबत कटौती से संबंधित है।

आय-कर अधिनियम, 1961 की उक्त धारा की उपधारा (5) के खंड (vi) का विद्यमान परंतुक यह उपबंध करता है कि किसी संस्था या निधि को आयुक्त द्वारा प्रदान किया गया अनुमोदन पांच निर्धारण वर्षों से अनधिक ऐसे निर्धारण वर्षों की संख्या के लिए प्रभावी होगा जो अनुमोदन में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

प्रस्तावित संशोधन धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (vi) के परंतुक का लोप करने के लिए है जिससे पूर्वोक्त परंतुक में विनिर्दिष्ट समय-सीमा को हटाया जा सके।

प्रस्तावित संशोधन 1 अक्टूबर, 2009 से प्रभावी होगा।

उक्त धारा की उपधारा (5) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि उपधारा (1) के अधीन कटौती किसी संस्था या निधि को किए गए संस्थान को तभी उपलब्ध है यदि वह पूर्ण प्रयोजन के लिए स्थापित की गई हो और वह ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करती हो जो विनिर्दिष्ट हैं। उक्त अधिनियम की धारा 2 का खंड (15) निर्धन-राहत शिक्षा, चिकित्सा राहत और साधारण लोक उपयोगिता के संवर्धन को सम्मिलित करने के उद्देश्य के लिए “पूर्व प्रयोजन” को परिभाषित करता है। तथापि, उक्त खंड का परंतुक यह उपबंध करता है कि किसी साधारण लोक उपयोगिता के अन्य उद्देश्य को अग्रसर करना पूर्ण प्रयोजन नहीं होगा यदि उसमें (i) किसी उपकरण या फीस या किसी अन्य प्रतिफल के लिए व्यापार, वाणिज्य या कारबार की प्रकृति का कोई क्रियाकलाप ; या (ii) किसी व्यापार, वाणिज्य या कारबार के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने का क्रियाकलाप करना अंतर्वलित है भले ही किसी ऐसे क्रियाकलाप से आय के उपयोग या प्रयोजन या प्रतिधारण की कोई भी प्रकृति हो।

प्रस्तावित संशोधन यह उपबंध करने के लिए है कि यदि किसी संस्था या निधि का 1 अप्रैल, 2007 से प्रारंभ होने वाले और 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले पूर्ववर्ष के लिए खंड (vi) के अधीन अनुमोदन किया गया था, वहां पूर्वोक्त धारा के प्रयोजनों के लिए और धारा 2 के खंड (15) के परंतुक में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी संस्था या निधि (क) 1 अप्रैल, 2008 को प्रारंभ होने वाले और 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले पूर्ववर्ष के लिए पूर्ण प्रयोजनों के लिए स्थापित ; (ख) 1 अप्रैल, 2008 को प्रारंभ होने वाले और 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले पूर्ववर्ष के लिए उक्त खंड (vi) के अधीन अनुमोदित, की गई समझी जाएगी।

यह प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2009-2010 के संबंध में ही लागू होगा।

खंड 34—आय-कर अधिनियम की धारा 80छछ का संशोधन करने के लिए है जो कंपनियों द्वारा राजनैतिक दलों को दिए गए अभिदायों की बाबत कटौती से संबंधित है।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंध किसी ऐसी भारतीय कंपनी की, कुल आय की संगणना करने में किसी ऐसी रकम की कटौती का उपबंध करता है जिसका भारतीय कंपनी द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष में किसी राजनैतिक दल को अभिदाय किया गया हो।

पूर्वोक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे “निर्वाचन न्यास” को उक्त धारा की परिधि के भीतर लाया जा सके, जिससे निर्वाचन न्यासों को किसी भारतीय कंपनी द्वारा किए गए अभिदाय की बाबत कटौती भी उस धारा के अधीन कटौती के लिए पात्र होगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-2011 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 35—आय-कर अधिनियम की धारा 80छछग का संशोधन करने के लिए है जो किसी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक दलों को किए गए अभिदायों की बाबत कटौती से संबंधित है।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंध किसी ऐसी भारतीय कम्पनी की जो स्थानीय प्राधिकारी या पूर्णतः या भागतः सरकार द्वारा वित्तपोषित कृत्रिम विधिक व्यक्ति के सिवाय कोई व्यक्ति है, कुल आय की संगणना करने में किसी ऐसी रकम की कटौती का उपबंध करता है जिसका उसके द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष में किसी राजनैतिक दल को अभिदाय किया गया हो।

पूर्वोक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे “निर्वाचन न्यास” को उक्त धारा की परिधि के भीतर लाया जा सके, जिससे निर्वाचन न्यासों को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए अभिदाय की बाबत कटौती भी उस धारा के अधीन कटौती के लिए पात्र होगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-2011 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 36—आय-कर अधिनियम की धारा 80झक का संशोधन करने के लिए है जो अवसंरचना विकास आदि में लगे हुए औद्योगिक उपकरणों या उद्यमों के लाभ और अभिलाभ की बाबत कटौती से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (4) के खंड (iv) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन ऐसे किसी उपकरण को कटौती अनुज्ञात की गई है जो, (क) विद्युत के उत्पादन या उत्पादन और वितरण के लिए भारत के किसी भाग में स्थापित किया जाता है, यदि वह 1 अप्रैल, 1993 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय विद्युत का उत्पादन प्रारंभ करता है; (ख) 1 अप्रैल, 1999 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय नई पारेषण या वितरण लाइनों का नेटवर्क बिछाकर पारेषण या वितरण प्रारंभ करता है; (ग) 1 अप्रैल, 2004 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय विद्यमान पारेषण या वितरण लाइनों के नेटवर्क का सारभूत नवीकरण और आधुनिकीकरण करता है।

उक्त खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे समय-सीमा को 31 मार्च, 2010 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2011 तक किया जा सके।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे।

इसके अतिरिक्त उक्त धारा की उपधारा (4) के खंड (v) के उपखंड (ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जो यह उपबंध करता है कि ऐसा कोई उपकरण, जो किसी भारतीय कंपनी के स्वामित्व में है और विद्युत उत्पादन संयंत्र के पुनर्निर्माण या पुनर्जीवन के लिए स्थापित किया गया है, यदि ऐसा उपकरण 31 मार्च, 2008 से पूर्व विद्युत का उत्पादन या पारेषण या वितरण प्रारंभ करता है, कटौती के लिए पात्र है।

उक्त उपखंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे विद्युत का उत्पादन, पारेषण या वितरण प्रारंभ करने की तारीख को 31 मार्च, 2008 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2011 तक किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

उक्त धारा की उपधारा (4) के खंड (vi) का लोप करने का भी प्रस्ताव है जो क्रास-कंट्री प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क, जिसके अंतर्गत पाइपलाइनों और भंडारण सुविधाएं हैं, जो ऐसे नेटवर्क का अभिन्न भाग है, बिछाने और प्रचालन का कारबार करने वाले किसी उपकरण के लिए कटौती का उपबंध करता है। उक्त संशोधन को ध्यान में रखते हुए उक्त धारा की उपधारा (1) और उपधारा (3) में भी संशोधन करने का प्रस्ताव है जो संशोधन पारिणामिक प्रकृति के हैं।

प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है। यह प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-2011 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण का यह स्पष्ट करने के लिए संशोधन करने का भी प्रस्ताव है कि उक्त धारा की कोई बात उपधारा (4) में निर्दिष्ट ऐसे कारबार के संबंध में लागू नहीं होगी जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा (केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार सहित) अधिनिर्णीत संकर्म संविदा की प्रकृति का है, और जो उक्त धारा की उपधारा (1) में निर्दिष्ट उपकरण या उद्यम द्वारा निष्पादित किया जाता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2000 से, भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2000-2001 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 37—आय-कर अधिनियम की धारा 80झख का संशोधन करने के लिए है जो अवसंरचना विकास उपकरणों से भिन्न कतिपय औद्योगिक उपकरणों से लाभों और अभिलाभों की बाबत कटौती से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (9) वाणिज्यिक उत्पादों या खनिज तेल के परिशोधन से व्यपगत लाभों और अभिलाभों की बाबत, उक्त उपधारा में अनुबंधित शर्तों के अधीन रहते हुए, कटौती के लिए उपबंध करती है।

उक्त उपधारा का यह उपबंध करने के लिए प्रतिस्थापन का प्रस्ताव है कि किसी उपकरण के लिए कटौती की रकम आरंभिक निर्धारण वर्ष सहित सात क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए लाभों के शतप्रतिशत होगी यदि ऐसा उपकरण,—

(i) पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवस्थित है और 1 अप्रैल, 1997 से पूर्व खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ कर दिया है या आरंभ करता है;

(ii) भारत के किसी भाग में अवस्थित है और 1 अप्रैल, 1997 को या उसके पश्चात् खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ कर दिया है या करता है;

(iii) खनिज तेल के परिशोधन में लगा हुआ है और 1 अक्टूबर, 1998 को या उसके पश्चात् ऐसा परिशोधन प्रारंभ करता है।

एक स्पष्टीकरण के माध्यम से यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि इस उपधारा के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी की उपधारा में कटौतियों का दावा करने के प्रयोजनों के लिए, भारत सरकार द्वारा संकल्प सं० ओ-19018/22/95-ओएनजी.डीओवीएल. तारीख 10 फरवरी, 1999 द्वारा घोषित नई खोज के लिए अनुज्ञप्ति देने की नीति के अधीन की गई एकल संविदा के अधीन अनुज्ञप्ति या केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य रीति में दी गई सभी समूहों को एकल "उपकरण" माना जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2000 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2000-2001 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त उपधारा के खंड (iii) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध करने के लिए उसे प्रतिस्थापित किया जा सके कि उक्त उपधारा के अधीन कटौती का फायदा तभी उपलब्ध होगा जब उपकरण खनिज तेल के परिशोधन में लगा हुआ है और 1 अक्टूबर, 1998 को या उसके पश्चात् किंतु 31 मार्च, 2012 के पश्चात् ऐसा परिशोधन प्रारंभ करता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

उक्त उपधारा (9) का और संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे उसे प्रतिस्थापित किया जा सके और यह उपबंध करने के लिए एक नया खंड (iv) अंतःस्थापित करके संशोधित किया जा सके कि उक्त उपधारा के अधीन कटौती का फायदा तभी उपलब्ध होगा जब उपकरण भारत सरकार द्वारा संकल्प सं० ओ-19018/22/95 ओएनजी० डीओवीएल, तारीख 10 फरवरी, 1999 द्वारा कोई संविदाएं देने के लिए (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "एनईएलपी viii" कहा गया है), बोली के चौथे चक्र में दिए गए समूहों में प्राकृतिक गैस के वाणिज्यिक उत्पादन में लगा हुआ है और 1 अप्रैल, 2009 को या उसके पश्चात् प्राकृतिक गैस का वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-2011 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

धारा 80झख की उपधारा (10) का संशोधन करने का और प्रस्ताव है जो 31 मार्च, 2007 से पूर्व स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आवास परियोजना के विकास और निर्माण में लगे हुए उपकरण द्वारा व्युत्पन्न लाभों की, विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, शतप्रतिशत कटौती का, उपबंध करता है।

प्रस्तावित संशोधन दो नए खंडों के माध्यम से दो नई शर्तें अंतःस्थापित करने के लिए है, अर्थात् खंड (ड) जो यह उपबंध करने का प्रस्ताव करता है कि ऐसे किसी व्यक्ति को जो व्यक्ति नहीं है, एक से अधिक आवासीय इकाई आबंटित हों की जाएगी और खंड (च), जो यह उपबंध करने का प्रस्ताव करता है कि, ऐसे मामले में जहां आवास योजना में कोई आवासीय इकाई ऐसे व्यक्ति को आबंटित की जाती है जो व्यक्ति है, ऐसी आवास योजना में कोई अन्य आवासीय इकाई निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी को आबंटित नहीं की जाएगी:-

(i) ऐसे व्यक्ति का पति या पत्नी या अवयस्क बालक;

(ii) ऐसा हिन्दू अविभक्त कुटुंब जिसमें ऐसा व्यक्ति कर्ता है;

(iii) ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति का पति या पत्नी अथवा अवयस्क बालक, हिन्दू अविभक्त कुटुंब जिसमें ऐसा व्यक्ति कर्ता है ।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-2011 तथा पश्चात्पूर्व वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

उक्त धारा की उपधारा (10) का एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जो यह स्पष्ट करता है कि उक्त उपधारा की कोई बात ऐसे किसी उपक्रम को लागू नहीं होगी जो आवास योजना का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत केंद्रीय या राज्य सरकार भी है) दी गई संकर्म संविदा के रूप में निष्पादित करता है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2001 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2001-2002 तथा पश्चात्पूर्व वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 38—आय-कर अधिनियम की धारा 89 का संशोधन करने के लिए है जो उस दशा में राहत, जिसमें वेतन आदि का संदाय बकाया या अग्रिम के रूप में किया जाता है, से संबंधित है ।

उक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन कोई निर्धारिती उस दशा में कर राहत का हकदार है जब धारा 17 के खंड (3) के अधीन वेतन की प्राप्ति या वेतन के स्थान पर लाभ की प्राप्ति है या धारा 57 के खंड (ii) के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित कुटुंब पेंशन की प्रकृति में बकाया या अग्रिम के रूप में किसी धनराशि की प्राप्ति है, जिसकी वजह से प्राप्ति के वर्ष में उसका कर दायित्व बढ़ जाता है ।

उक्त धारा में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसी कोई राहत निर्धारिती द्वारा अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या सेवा की समाप्ति पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की किसी स्कीम या स्कीमों या धारा 10 के खंड (10ग) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट पब्लिक सेक्टर कंपनी की दशा में स्वैच्छिक पृथक्करण की स्कीम के अनुसार प्राप्त या प्राप्य किसी रकम की बाबत प्रदान नहीं की जाएगी, यदि ऐसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या अपनी सेवा की समाप्ति या स्वैच्छिक पृथक्करण पर प्राप्त या प्राप्य किसी रकम की बाबत ऐसी किसी छूट का निर्धारिती द्वारा ऐसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष की बाबत धारा 10 के खंड (10ग) के अधीन दावा किया गया है ।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-2011 तथा पश्चात्पूर्व वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 39—आय-कर अधिनियम की धारा 90 को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव करता है जो विदेशों से करार से संबंधित है ।

विद्यमान उपबंधों के अधीन ऐसी आय की बाबत जिस पर उक्त अधिनियम के अधीन आय-कर और उस विदेश में आय-कर दोनों का संदाय किया गया है, राहत प्रदान करने के लिए भारत से बाहर किसी देश की सरकार से करार करने के लिए केंद्रीय सरकार को शक्ति प्रदान की गई है ।

उक्त धारा 90 के स्थान पर नई धारा रखने का प्रस्ताव है जिससे केंद्रीय सरकार को उक्त विद्यमान धारा 90 में यथा उपबंधित विदेशों से करार करने के अतिरिक्त भारत से बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की सरकार के साथ करार करने की शक्ति प्रदान की जा सके । “विनिर्दिष्ट संघ राज्यक्षेत्र” को परिभाषित करने के लिए नई धारा 90 में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे भारत से बाहर कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिससे इस धारा के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा उस रूप में अधिसूचित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2009 से प्रभावी होगा ।

खंड 40—आय-कर अधिनियम की धारा 92ग का संशोधन करने के लिए है जो असन्निकट कीमत की संगणना से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन असन्निकट कीमत के अवधारण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति विहित रीति में लागू की

जाएगी। उपधारा (2) का परंतुक यह उपबंध करता है कि जहां सर्वाधिक उपयुक्त रीति से एक से अधिक कीमत का अवधारण किया जाता है वहां असन्निकट कीमत को, ऐसी कीमतों का अंकगणितीय औसत या निर्धारिती के विकल्प पर ऐसी कीमत को, ऐसे अंकगणितीय औसत से भिन्न हो, अन्तरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में ऐसे अंकगणितीय औसत के पांच प्रतिशत से अनधिक रकम द्वारा ऐसी कीमत का अंकगणितीय औसत माना जाएगा ।

विद्यमान परंतुक को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां सर्वाधिक उपयुक्त रीति से एक से अधिक कीमत का अवधारण किया जाता है वहां असन्निकट कीमत को ऐसी कीमतों का अंकगणितीय औसत माना जाएगा । यह और उपबंध किया जाता है कि इस प्रकार अवधारित असन्निकट कीमत और उस कीमत के बीच अंतर जिस पर अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार वस्तुतः किया गया है, बाद वाली कीमत के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है वहां वह कीमत जिस पर अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार वस्तुतः किया गया है, असन्निकट कीमत समझी जाएगी ।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2009 से प्रभावी होगा ।

खंड 41—आय-कर अधिनियम में “सुरक्षित बंदरगाह” नियम बनाने की बोर्ड की शक्ति से संबंधित नई धारा 92गख अंतःस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित नई धारा यह उपबंध करने के लिए है कि धारा 92ग या धारा 92गक के अधीन सन्निकट कीमत का अवधारण सुरक्षित बंदरगाह नियमों के अधीन किया जाएगा।

यह भी प्रस्ताव है कि बोर्ड उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए ‘सुरक्षित बंदरगाह’ के लिए नियम बना सकेगा ।

“सुरक्षित बंदरगाह” का एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे वे परिस्थितियां अभिप्रेत हैं जिनमें आय-कर प्राधिकारी निर्धारिती द्वारा घोषित अंतरण कीमत को स्वीकार करेंगे ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा ।

खंड 42—आय-कर अधिनियम की धारा 115खखग का संशोधन करने के लिए है जो कतिपय दशाओं में अनाम संदानों पर कर लगाए जाने से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, जहां किसी निर्धारिती की, जो धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iii)कघ) या उपखंड (vi) में निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्थान या उपखंड (iii)कड) या उपखंड (vik) में निर्दिष्ट किसी अस्पताल या अन्य संस्था या उपखंड (iv) में निर्दिष्ट किसी निधि या संस्था या उपखंड (v) में निर्दिष्ट किसी न्यास या संस्था या धारा 11 में निर्दिष्ट किसी न्यास या संस्था की ओर से आय प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, कुल आय में अनाम संदान के रूप में कोई आय सम्मिलित है, वहां संदेय आय-कर किसी अनाम संदान के रूप में आय पर तीस प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम होगा और आय की वह रकम, जिससे निर्धारिती प्रभार्य होता, उसकी कुल आय थी।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (i) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उस सीमा तक जिस तक ऐसे अनाम संदानों का योग, जो निर्धारिती की कुल आय के पांच प्रतिशत या एक लाख रुपए की रकम, इनमें से जो भी अधिक है, से अधिक हो जाता है, पूर्वोक्त धारा के प्रयोजनों के लिए गणना में लिया जाएगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-2011 तथा पश्चात्पूर्व वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 43—कतिपय कंपनियों से संबंधित समझी गई आय से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 115जक का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि किसी ऐसे निर्धारिती की दशा में, जो ऐसी कंपनी है जिसकी 1 अप्रैल, 1997 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 अप्रैल, 2001 से पूर्व प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष की बाबत संगणित कुल आय उसके बही लाभ के तीस प्रतिशत से कम है वहां सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कर से प्रभार्य ऐसे निर्धारिती की कुल आय ऐसे बही लाभ के तीस प्रतिशत के

बराबर रकम समझी जाएगी। “बही लाभ” पद को दूसरे परंतुक के पश्चात् स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है, जो बही लाभ को कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 6 के भाग 2 और 3 के उपबंधों के अनुसार तैयार की गई लाभ और हानि लेखे में दर्शित किए गए शुद्ध लाभ के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे उक्त धारा में यथाविनिर्दिष्ट कतिपय समायोजनों से बढ़ाया या घटाया गया है।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी आस्ति के मूल्य में कमी के लिए किसी उपबंध को भी उक्त धारा के अधीन बही लाभ की संगणना में भी सम्मिलित किया जाएगा।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 1998 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 1998-1999 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 44—कतिपय कंपनियों से संबंधित समझी गई आय पर संदत्त कर की बाबत कर का मुजरा से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 115जकक का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (3क) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन उपधारा (2क) के अधीन अवधारित कर प्रत्यय की रकम को पूर्वोक्त धारा की उपधारा (4) और उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार अग्रनीत किया जाएगा और उसका मुजरा किया जाएगा किन्तु ऐसा अग्रनयन उस निर्धारण वर्ष से, जिसमें कर प्रत्यय उस धारा की उपधारा (1क) के अधीन अनुज्ञेय हो जाता है, ठीक उत्तरवर्ती सातवें निर्धारण वर्ष के पश्चात् अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

उक्त धारा 115जकक की उपधारा (3क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (2क) के अधीन अवधारित कर प्रत्यय की रकम को उस निर्धारण वर्ष के, जिसमें कर प्रत्यय उपधारा (1क) के अधीन अनुज्ञेय हो जाता है, ठीक उत्तरवर्ती दसवें निर्धारण वर्ष के पश्चात् (सातवें निर्धारण वर्ष के बजाय) अग्रनीत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-2011 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 45—कतिपय कंपनियों द्वारा कर के संदाय के लिए विशेष उपबंध से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 115जख का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा 115जख में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन यदि किसी कंपनी की दशा में, 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष की बाबत आय-कर अधिनियम के अधीन संगणित कुल आय पर संदेय कर, उसके बही लाभ के दस प्रतिशत से कम है, वहां ऐसे बही लाभ को निर्धारिती की कुल आय समझा जाएगा और सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए संदेय कर ऐसे बही लाभ का दस प्रतिशत होगा।

उक्त धारा 115जख की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष की बाबत आय-कर अधिनियम के अधीन संगणित की गई कुल आय पर संदेय आय-कर, उसके बही लाभ के पन्द्रह प्रतिशत से कम है, तो ऐसे बही लाभ को निर्धारिती की कुल आय समझा जाएगा और सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए संदेय कर ऐसे बही लाभ का पन्द्रह प्रतिशत होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-2011 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त धारा की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण 1 में, खंड (ज) के पश्चात् नया खंड (झ) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी आस्ति के मूल्य में कमी के लिए किसी व्यवस्था को भी उक्त धारा के अधीन बही लाभ की संगणना में सम्मिलित किया जाएगा।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2001-2002 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 46—आय-कर अधिनियम में धारा 115ण का संशोधन करने के लिए है जो देशी कंपनियों के वितरित लाभों पर कर से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ यह उपबंध करते हैं कि ऐसी कंपनी द्वारा लाभार्थों के रूप में घोषित, वितरित या संदत्त कोई रकम पन्द्रह प्रतिशत की दर से वितरित लाभों पर अतिरिक्त आय-कर या कर से प्रभावरित की जाएगी। उक्त धारा की उपधारा (1क) में यह उपबंध है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकम को वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभार्थों की रकम, यदि कोई हो, से घटा दिया जाएगा, यदि (क) ऐसे लाभार्थ उसके समनुषंगी से प्राप्त हुआ है; (ख) समनुषंगी कंपनी ने ऐसे लाभार्थ पर इस धारा के अधीन कर का संदाय किया है; और (ग) देशी कंपनी किसी अन्य कंपनी की समनुषंगी नहीं है। उक्त उपधारा में यह भी उपबंध है कि लाभार्थ की वही रकम एक से अधिक बार घटाई नहीं जाएगी।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उस धारा की उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकम को धारा 10 के खंड (44) में निर्दिष्ट नई पेंशन प्रणाली न्यास के लिए या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को संदत्त लाभार्थ की रकम, यदि कोई हो से घटा दिया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

खंड 47—निर्धारण से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 115बड का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (1ख) यह उपबंध करती है कि जैसा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, उस धारा की उपधारा (1क) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि विवरणियों की कार्यवाही से संबंधित इस अधिनियम के कोई उपबंध लागू नहीं होंगे या ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ लागू होंगे, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं; तथापि ऐसा कोई निदेश 31 मार्च, 2009 के पश्चात् जारी नहीं किया जाएगा।

उक्त धारा की उपधारा (1ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे समय-सीमा को 31 मार्च, 2009 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2010 तक किया जा सके और 31 मार्च, 2010 के पश्चात् कोई निदेश जारी नहीं किया जाएगा।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होगा।

खंड 48—“अध्याय 12ज का निश्चित तारीख के पश्चात् लागू न होना” से सम्बन्धित एक नई धारा 115बड अंतःस्थापित करने के लिए है।

प्रस्तावित नई धारा यह उपबंध करती है कि अध्याय 12ज की कोई बात 1 अप्रैल, 2010 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष के संबंध में किसी निर्धारण की बाबत लागू नहीं होंगे।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-2011 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 49—आय-कर अधिनियम की धारा 131 का संशोधन करने के लिए है जो प्रकटीकरण, साक्ष्य पेश करने आदि के बारे में शक्ति से संबंधित है।

विधेयक के खंड 55 में आय-कर अधिनियम में नई धारा 144ग अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारिती निर्धारण अधिकारी के निर्धारण के प्रस्तावित आदेश के प्रारूप के विरुद्ध अन्य व्यक्तियों के साथ विवाद समाधान पैनल में अपना आक्षेप फाइल करेगा।

धारा 131 की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 144ग की उपधारा (15) के खंड (क) में निर्दिष्ट विवाद समाधान पैनल को वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी न्यायालय में निहित हैं। प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2009 से प्रभावी होगा।

खंड 50—तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 132 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त उपधारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि महानिदेशक या निदेशक या मुख्य आयुक्त या आयुक्त या ऐसे किसी संयुक्त निदेशक या संयुक्त

आयुक्त द्वारा तलाशी और अभिग्रहण कार्य करने के लिए जो बोर्ड द्वारा उसकी कतिपय शर्तों के समाधानप्रद रूप में इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि अपर निदेशक या अपर आयुक्त को उक्त धारा के अधीन तलाशी लेने और अभिग्रहण करने के लिए प्राधिकार वारंट जारी करने की शक्ति हमेशा थी।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 जून, 1994 से प्रभावी होगा।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त को उक्त धारा के अधीन तलाशी लेने और अभिग्रहण करने के लिए प्राधिकार वारंट जारी करने की शक्ति हमेशा थी।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अक्टूबर, 1998 से प्रभावी होगा।

इसके अतिरिक्त यह संशोधन यह भी उपबंध करता है कि 1 अक्टूबर, 2009 को या उसके पश्चात् अपर निदेशक या अपर आयुक्त या संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त को कोई प्राधिकार जारी नहीं किया जाएगा, जब तक उसे बोर्ड द्वारा ऐसा करने के लिए सशक्त न किया गया हो।

उक्त धारा की उपधारा (1क) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि अपर निदेशक या अपर आयुक्त को उक्त धारा के अधीन तलाशी लेने और अभिग्रहण करने के लिए प्राधिकार वारंट जारी करने की शक्ति हमेशा थी।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 जून, 1994 से प्रभावी होगा।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि संयुक्त निदेशक और संयुक्त आयुक्त को उक्त धारा के अधीन तलाशी लेने और अभिग्रहण करने के लिए प्राधिकार वारंट जारी करने की शक्ति हमेशा थी।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 1998 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

खंड 51—आय-कर अधिनियम की धारा 132क की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है जो लेखा बहियों आदि की अध्यक्षता करने की शक्ति से संबंधित है।

विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि महानिदेशक या निदेशक या मुख्य आयुक्त या आयुक्त, किसी संयुक्त निदेशक, संयुक्त आयुक्त, सहायक निदेशक या उपनिदेशक, सहायक आयुक्त या उपायुक्त या आय-कर अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेंगे।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उक्त धारा में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अपर निदेशक या अपर आयुक्त को प्राधिकृत किया जा सके।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 जून, 1994 से प्रभावी होगा।

खंड 52—आय-कर अधिनियम की धारा 139क का संशोधन करने के लिए है जो स्थायी खाता संख्या से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (5ख) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि जहां अध्याय 17ख के अधीन कर की कटौती करने के पश्चात् किसी राशि या आय या रकम का संदाय किया गया है वहां इस अध्याय के अधीन कटौती करने वाला प्रत्येक व्यक्ति धारा 200 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार तैयार किए गए और परिदत्त किए गए या परिदत्त कराए गए सभी तिमाही विवरणों में उस व्यक्ति की स्थायी खाता संख्या को उद्धृत करेगा जिसे ऐसी राशि या आय या रकम का उसके द्वारा संदाय किया गया हो।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस अध्याय के अधीन कर की कटौती करने वाला प्रत्येक व्यक्ति धारा 200 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार तैयार और परिदत्त किए गए या परिदत्त कराए गए सभी विवरणों में उस व्यक्ति की स्थायी खाता संख्या उद्धृत करेगा जिसे ऐसी राशि या आय या रकम का उसके द्वारा संदाय किया गया है।

उक्त धारा की उपधारा (5घ) में यह उपबंध है कि धारा 206ग के उपबंधों के अनुसार कर का संग्रहण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति धारा 206ग की उपधारा (3) के

उपबंधों के अनुसार तैयार और प्रदत्त किए गए या प्रदत्त कराए गए सभी तिमाही विवरणों में उस धारा में निर्दिष्ट प्रत्येक क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टाधारी की स्थायी खाता संख्या को उद्धृत करेगा।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 206ग के उपबंधों के अनुसार कर का संग्रहण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति धारा 206ग की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार तैयार और परिदत्त किए गए या परिदत्त कराए गए सभी विवरणों में प्रत्येक क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टाधारी की स्थायी खाता संख्या को उद्धृत करेगा।

ये संशोधन 1 अक्टूबर, 2009 से प्रभावी होंगे।

खंड 53—विवरणी किसके द्वारा हस्ताक्षरित हो, से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 140 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन धारा 115बघ या धारा 139 के अधीन विवरणी उक्त धारा में यथाविनिर्दिष्ट संबंधित व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित की जाएगी।

यह खंड उक्त धारा का संशोधन करने के लिए है जिससे नया खंड (गघ) अंतःस्थापित किया जा सके जिसमें यह उपबंध है कि किसी सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में, विवरणी अभिहित भागीदार द्वारा और जहां किसी अपरिहार्य कारण से अभिहित भागीदार विवरणी को हस्ताक्षरित करने में असमर्थ है या जहां कोई अभिहित भागीदार नहीं है वहां किसी अन्य भागीदार द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित की जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-2011 और पश्चात् वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 54—निर्धारण से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 143 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (1ख) यह उपबंध करती है कि जैसा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, उस धारा की उपधारा (1क) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि विवरणियों की कार्यवाही से संबंधित इस अधिनियम के कोई उपबंध लागू नहीं होंगे या ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ लागू होंगे, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं; तथापि ऐसा कोई निदेश 31 मार्च, 2009 के पश्चात् जारी नहीं किया जाएगा।

उक्त धारा की उपधारा (1ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि 31 मार्च, 2010 के रूप में उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाने वाली समय-सीमा को 31 मार्च, 2009 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2010 तक किया जा सके, जिससे 31 मार्च, 2010 के पश्चात् ऐसा निदेश जारी नहीं किया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

खंड 55—आय-कर अधिनियम में विवाद समाधान पैनल से संबंधित नई धारा 144ग अंतःस्थापित करने के लिए है।

अंतरण कीमत संपरीक्षा और विदेशी कंपनी के कराधान के विषय भारत में उदीयमान चरण में हैं। प्रायः निर्धारण अधिकारियों और अंतरण कीमत अधिकारी की प्रवृत्ति संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की होती है। इस समय विद्यमान अपील संरचना में समय अधिक लगता है।

त्वरित निपटान का उपबंध करने की दृष्टि से आय-कर अधिनियम का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे आय-कर विभाग के भीतर एक अनुकल्पी विवाद समाधान तंत्र सृजित किया जा सके और तदनुसार धारा 144ग अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है जिससे अन्य बातों के साथ अनुकल्पी विवाद समाधान तंत्र के रूप में विवाद समाधान पैनल का उपबंध किया जा सके।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2009 से प्रभावी होगा।

खंड 56—आय-कर अधिनियम की धारा 145क का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय मामलों में लेखा पद्धति से संबंधित है।

उक्त धारा 145क में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि पूर्ववर्ष के प्रथम और अंतिम दिन को सूची के मूल्य की संगणना करते समय निर्धारित द्वारा नियमित रूप से नियोजित लेखा पद्धति के अनुसार संगणना को प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसके लिए संदत्त किसी कर, शुल्क, उपकर या फीस की रकम या उपगत दायित्व को सम्मिलित करने के लिए समायोजित किया जाएगा।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि, यथास्थिति, प्रतिकर पर या वर्धित प्रतिकर पर निर्धारित द्वारा प्राप्त ब्याज उस वर्ष के लिए, जिसमें वह प्राप्त होती है, आय समझी जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-2011 तथा पश्चात्तवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 57—निर्धारण से छूटी आय से संबंधित धारा 147 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा में स्पष्टीकरण 3 अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा के अधीन निर्धारण या पुनः निर्धारण के प्रयोजन के लिए, निर्धारण अधिकारी उस आय से सुसंगत किसी मुद्दे का जो निर्धारण से छूट गया है और जो इस धारा के अधीन कार्यवाहियों के अनुक्रम में बाद में उसकी जानकारी में आया है, इस बात के होते हुए भी निर्धारण या पुनः निर्धारण कर सकेगा कि ऐसे मुद्दे के कारणों को धारा 148 की उपधारा (2) के अधीन अभिलिखित कारणों में सम्मिलित नहीं किया गया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 1989 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 1989-1990 तथा पश्चात्तवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 58—समापन में सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों के दायित्व से संबंधित नई धारा 167ग अंतःस्थापित करने के लिए है।

प्रस्तावित नई धारा यह उपबंध करने के लिए है कि जहां किसी सीमित दायित्व भागीदारी से किसी पूर्ववर्ष की किसी आय की बाबत या किसी अन्य व्यक्ति से, किसी ऐसे पूर्ववर्ष की, जिसके दौरान ऐसा अन्य व्यक्ति सीमित दायित्व भागीदारी था, किसी आय की बाबत देय किसी कर की वसूली नहीं की जा सकती है वहां उस मामले में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार था, जब तक वह यह साबित नहीं कर देता है कि अवसूली को सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यकलापों के संबंध में उसकी ओर से कोई सकल उपेक्षा, अपकरण, किसी कर्तव्य का भंग नहीं माना जा सकता है, ऐसे कर का संदाय करने के लिए संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से दायी होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-2011 तथा पश्चात्तवर्ती वर्ष के संबंध में लागू होगा।

खंड 59—आय-कर अधिनियम की धारा 194क का संशोधन करने के लिए है जो “प्रतिभूतियों पर ब्याज” से भिन्न ब्याज से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि उक्त धारा की उपधारा (1) के उपबंध कतिपय आय या प्राप्ति की बाबत लागू नहीं होंगे। उक्त उपधारा का खंड (x) यह उपबंध करता है कि उपधारा (1) के उपबंध ऐसी आय की बाबत लागू नहीं होंगे, जिसका किसी अवसंरचना पूंजी कंपनी या अवसंरचना पूंजी निधि या पब्लिक सेक्टर कंपनी द्वारा 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् जारी किसी जीरो कूपन बंधपत्र के संबंध में संदाय किया जाता है या संदेय है।

धारा 194क की उपधारा (3) के उक्त खंड (x) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे “पब्लिक सेक्टर कंपनी” के पश्चात् “अनुसूचित बैंक” को सम्मिलित किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

खंड 60—ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों को संदाय के संबंध में स्रोत पर कर की कटौती करने से संबंधित आय-कर अधिनियम की विद्यमान धारा 194ग को प्रतिस्थापित करने के लिए है।

विद्यमान उपबंधों के अधीन यदि कतिपय व्यक्ति कोई काम करने के लिए किसी

ठेकेदार को संदाय करते हैं तो विज्ञापन संविदा के लिए संदाय की दशा में एक प्रतिशत की दर से और किसी अन्य संविदा की दशा में दो प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर की कटौती किए जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त, जब कोई ठेकेदार किसी उप-ठेकेदार को संदाय करता है तब एक प्रतिशत की दर से स्रोत से कर कटौती के योग्य है। धारा में यह और उपबंधित है कि बीस हजार रुपए तक के संदाय स्रोत पर कर कटौती योग्य नहीं है। तथापि यदि किसी वर्ष में संदाय पचास हजार रुपए से अधिक हो जाता है तो कर स्रोत पर कटौती योग्य था। उपबंध माल वहन को चलाने, किराए या पट्टे पर देने के कारखार के अनुक्रम के दौरान किसी उप-ठेकेदार को किए गए संदाय पर स्रोत पर कर की कटौती से कतिपय शर्तों को पूरा करने पर छूट प्रदान करता है।

प्रस्तावित संशोधन धारा 194ग को प्रतिस्थापित करने के लिए है।

प्रस्तावित संशोधन की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि कोई व्यक्ति, किसी काम को करने के लिए निवासी ठेकेदार को संदाय पर, यदि अदाता कोई व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, तो एक प्रतिशत की दर से या किसी अन्य व्यक्ति की दशा में दो प्रतिशत की दर से, स्रोत पर कर की कटौती करेगा।

उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि यदि संदाय उचंच खाते आदि में जमा किया जाता है तो भी स्रोत पर कर की कटौती किए जाने की आवश्यकता है।

उपधारा (3) यह उपबंध करती है कि जहां धारा 194ग के स्पष्टीकरण के खंड (iv) के उपखंड (ड) में वर्णित किसी काम को करने के लिए कोई राशि संदत्त या जमा की जाती है वहां स्रोत पर कर की कटौती, यदि ऐसा मूल्य पृथक् रूप से बीजक में वर्णित किया गया है, तो सामग्री के मूल्य को छोड़कर बीजक मूल्य पर या यदि सामग्री का मूल्य पृथक् रूप से बीजक में वर्णित नहीं किया गया है, तो संपूर्ण बीजक मूल्य पर की जाएगी।

उपधारा (4) धारा 194ग की पूर्ववर्ती उपधारा (1) के परंतुक के समरूप है।

उपधारा (5) विद्यमान धारा 194ग की उपधारा (3) के खंड (i) के समरूप है।

प्रस्तावित उपधारा (6) यह उपबंध करती है कि माल वहन चलाने, किराए या पट्टे पर देने के लिए संदाय की दशा में स्रोत पर कर की कटौती नहीं की जाएगी परंतु ठेकेदार अपना स्थायी लेखा संख्यांक देता है।

प्रस्तावित उपधारा (7) यह उपबंध करती है कि उपधारा (6) में वर्णित “संदायकर्ता” विहित आय-कर प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसी विशिष्टियां देगा जो विहित की जाएं। प्रस्तावित धारा का स्पष्टीकरण “विनिर्दिष्ट अस्तित्व”, “माल वहन” और “संविदा” पदों को परिभाषित करता है।

स्पष्टीकरण का खंड (iv) “काम” पद को विज्ञापन, प्रसारण और दूर प्रसारण को सम्मिलित करने के लिए परिभाषित करता है, जिसके अंतर्गत ऐसे प्रसारण या दूर प्रसारण के लिए कार्यक्रमों का निर्माण, रेल से भिन्न परिवहन के किसी अन्य ढंग द्वारा माल या यात्रियों का वहन, खानपान और किसी ग्राहक की अपेक्षा या विनिर्देश के अनुसार, ऐसे ग्राहक से क्रय किए गए कच्चे माल का उपयोग करके उत्पाद का विनिर्माण या प्रदाय करना सम्मिलित है।

स्पष्टीकरण यह और उपबंध करता है कि काम के अंतर्गत किसी ग्राहक की अपेक्षा या विनिर्देश के अनुसार ऐसे ग्राहक से भिन्न किसी व्यक्ति से क्रय किए गए कच्चे माल का उपयोग करके किसी उत्पाद का विनिर्माण या प्रदाय करना नहीं होगा।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2009 से प्रभावी होगा।

खंड 61—आय-कर अधिनियम की धारा 194ग का संशोधन करने के लिए है जो से संबंधित है।

उक्त धारा का खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) किराए के रूप में किसी आय के संबंध में स्रोत पर कर की कटौती के लिए उपबंध करता है। यह अन्य बातों के साथ, किसी मशीनरी या संयंत्र या उपस्कर के उपयोग के लिए दस प्रतिशत की दर से ऐसी कटौती का उपबंध करता है। इसके अतिरिक्त, जहां पाने वाला व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है वहां यह किसी भूमि या भवन (जिसके अंतर्गत कारखाना भवन भी है) या भवन से संलग्न भूमि (जिसके अंतर्गत कारखाना भवन भी है) या फर्नीचर या फिटिंग के उपयोग के लिए पन्द्रह प्रतिशत; और जहां पाने वाला व्यक्ति या

हिन्दू अविभक्त कुटुंब से भिन्न कोई व्यक्ति है वहां बीस प्रतिशत की दर से ऐसी कटौती का उपबंध करता है ।

उक्त खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) के स्थान पर नए खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) रखने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किराए के रूप में आय के संबंध में स्रोत पर कर की कटौती किसी मशीनरी या संयंत्र या उपस्कर के उपयोग के लिए दो प्रतिशत और किसी भूमि या भवन (जिसके अंतर्गत कारखाना भवन भी है) या भवन से संलग्न भूमि (जिसके अंतर्गत कारखाना भवन भी है) या फर्नीचर या फिटिंग के उपयोग के लिए दस प्रतिशत की दर से होगी ।

ये संशोधन 1 अक्टूबर, 2009 से प्रभावी होंगे ।

खंड 62—आय-कर अधिनियम की धारा 197क का संशोधन करने के लिए है जो कुछ दशाओं में की जाने वाली कटौती के न किए जाने से संबंधित है।

धारा 197क में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन ऐसे किसी व्यक्ति से, जो भारत में निवासी है और अपतट बैंकारी यूनिट है, और ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो भारत में मामूली निवासी नहीं है, कतिपय आय पर संदत्त ब्याज पर स्रोत से कटौती नहीं की जाएगी, यदि कटौतीधारी, कतिपय शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए, विहित प्ररूप में सूचना फाइल करता है ।

एक नई उपधारा (1ड) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नई पेंशन प्रणाली न्यास के लिए या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को किसी संदाय के लिए कोई कर की कटौती नहीं की जाएगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

खंड 63—कर की कटौती करने वाले व्यक्ति के कर्तव्य से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 200 का संशोधन करने के लिए है ।

प्रस्तावित संशोधन यह उपबंध करने के लिए है कि, यथास्थिति, ऐसा कोई व्यक्ति, जो 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुसार किसी राशि की कटौती करता है या ऐसा कोई व्यक्ति, जो धारा 192 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट कोई नियोजक है, केन्द्रीय सरकार के खाते में कटौती किए गए कर का संदाय करने के पश्चात् विहित समय के भीतर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी अवधि के लिए जो विहित की जाए ऐसे विवरण तैयार करेगा और ऐसे विवरण ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में सत्यापित कराकर और ऐसी विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए विहित आय-कर प्राधिकारी को या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त करेगा या कराएगा।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2009 से प्रभावी होगा ।

खंड 64—स्रोत पर कटौती किए गए कर के विवरण पर कार्रवाई का उपबंध करने के लिए नई धारा 200क अंतःस्थापित करने के लिए है।

प्रस्तावित नई धारा 200क में यह उपबंध है कि धारा 200 के अधीन की गई स्रोत पर कर कटौती के विवरण पर कार्रवाई की जाएगी और अध्याय 17ख के अधीन कटौती योग्य धनराशियों की संगणना विवरण में किसी अंकगणितीय भूल या प्रकट गलत दावे का समायोजन करने के पश्चात् की जाएगी और इस प्रकार संगणित धनराशि पर ब्याज, यदि कोई है, प्रभाषित किया जाएगा । कटौतीकर्ता को संदेय या प्रतिदेय राशि का अवधारण धारा 200 और धारा 201 के अधीन संदत्त किसी रकम के लिए पूर्वोक्त संगणित धनराशि और कर या ब्याज के रूप में अन्यथा संदत्त किसी धनराशि का समायोजन करने के पश्चात् किया जाएगा। कटौतीकर्ता को संदेय या प्रतिदेय रकम विनिर्दिष्ट करते हुए कटौतीकर्ता को एक इतिला भेजी जाएगी और विवरण की अभिस्वीकृति उस मामले में इतिला समझी जाएगी जहां कटौतीकर्ता द्वारा संदेय या उसको प्रतिदेय कोई राशि न हो । निर्धारण वर्ष के अंत से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् कोई इतिला नहीं भेजी जाएगी । स्पष्टीकरण के खंड (क) में यह उपबंध है कि “विवरण में किसी सूचना से प्रकट गलत दावा” से (i) किसी मद के विवरण में किसी प्रविष्टि के आधार पर ऐसा दावा अभिप्रेत है, जो ऐसे विवरण में उसी

या किसी अन्य मद की किसी अन्य प्रविष्टि से असंगत है ; और (ii) स्रोत पर कर की कटौती की दर के संबंध में, जहां अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसी कोई दर नहीं है । आगे यह उपबंध है कि विवरणों पर कार्रवाई करने के लिए, बोर्ड कटौतीकर्ता द्वारा संदेय कर या उसको शोध्य प्रतिदाय का शीघ्रता से अवधारण करने के लिए स्रोत पर कटौती किए गए कर के विवरण पर केंद्रीयकृत कार्रवाई के लिए स्कीम तैयार कर सकेगा ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होंगे ।

खंड 65—आय-कर अधिनियम की धारा 201 का संशोधन करने के लिए है जो कटौती या संदाय करने में असफलता के परिणामों से संबंधित है ।

विधेयक के खंड 63 द्वारा यह विनिर्दिष्ट करते हुए धारा 200 का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि, यथास्थिति, ऐसा कोई व्यक्ति, जो 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात्, अध्याय 17ख के पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार किसी राशि की कटौती करता है या ऐसा कोई व्यक्ति, जो धारा 192 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट कोई नियोजक है, केन्द्रीय सरकार के खाते में कटौती किए गए कर का संदाय करने के पश्चात् विहित समय के भीतर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी अवधि के लिए, जो विहित की जाए, ऐसे विवरण तैयार करेगा और ऐसे विवरण, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में सत्यापित कराकर और ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, विहित आय-कर प्राधिकारी को या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त करेगा या कराएगा ।

अतः, आय-कर अधिनियम की धारा 201 का पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2009 से प्रभावी होगा ।

खंड 65 का उपखंड (ख) निवासी करदाताओं के मामले में धारा 201 की उपधारा (1) के अधीन आदेश पारित करने के लिए समय-सीमा का उपबंध करने के लिए है । यह यह उपबंध करता है कि किसी व्यक्ति को भारत में निवासी किसी व्यक्ति के मामले में संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती करने में असफल रहने के लिए व्यतिक्रमी निर्धारित मानने वाला कोई आदेश धारा 201 की उपधारा (1) के अधीन उस वित्तीय वर्ष की जिसमें उस दशा में विवरण फाइल किया जाता है, जहां धारा 200 में निर्दिष्ट विवरण फाइल किया गया है, अंत से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी समय नहीं किया जाएगा । आगे यह उपबंध करता है कि किसी अन्य दशा में ऐसा आदेश उस वित्तीय वर्ष के अंत से चार वर्ष के पश्चात् किसी समय नहीं किया जाएगा जिसमें संदाय किया जाता है या प्रत्यय किया जाता है । आगे यह उपबंध है कि 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए ऐसा आदेश 31 मार्च, 2011 को या उसके पूर्व किसी समय किया जा सकेगा उक्त खंड में यह भी उपबंध है कि धारा 153 की उपधारा के उपखंड (ii) के उपबंध और धारा 153 के स्पष्टीकरण 1 के उपबंध, जहां तक संभव हो, प्रस्तावित धारा 201 की उपधारा (3) में विहित समय-सीमा को लागू होंगे ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा ।

खंड 66—आय-कर अधिनियम की धारा 203क का संशोधन करने के लिए है जो कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या से संबंधित है ।

विधेयक के खंड 63 द्वारा यह विनिर्दिष्ट करते हुए धारा 200 का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि, यथास्थिति, अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुसार 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् किसी राशि की कटौती करने वाला कोई व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जो धारा 192 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट नियोजक है विहित समय के भीतर केन्द्रीय सरकार के खाते में कटौती किए गए कर का संदाय करने के पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी अवधि के लिए जो विहित की जाए, ऐसे विवरण तैयार करेगा और ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में सत्यापित तथा ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए और ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए ऐसे विवरण को विहित आय-कर प्राधिकारी या उस प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त करेगा या कराएगा ।

विधेयक के खंड 70 द्वारा यह विनिर्दिष्ट करते हुए धारा 206ग का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि पूर्वोक्त उपबंधों के अनुसार 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् कर संग्रहण करने वाला कोई व्यक्ति संगृहीत कर को विहित समय के भीतर केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा करने के पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी अवधि के लिए

जो विहित की जाए, ऐसे विवरण तैयार करेगा और ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में सत्यापित तथा ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए और ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए ऐसे विवरण को विहित आय-कर प्राधिकारी या उस प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त करेगा या कराएगा।

अतः, आय-कर अधिनियम की धारा 203क का पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2009 से प्रभावी होगा।

खंड 67—कर की कटौती के बिना निवासियों को ब्याज के संदाय के संबंध में तिमाही विवरणों के दिए जाने से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 206क का संशोधन करने के लिए है।

प्रस्तावित संशोधन यह उपबंध करने के लिए है कि धारा 194क की उपधारा (3) के खंड (i) के परंतुक में निर्दिष्ट कोई बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी या पब्लिक कंपनी, जो ब्याज (प्रतिभूतियों पर ब्याज से भिन्न) के रूप में जहां आदाता बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी है, दस हजार रुपए से अनधिक और किसी अन्य मामले में पांच हजार रुपए से अनधिक आय का किसी निवासी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी अवधि के लिए, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में सत्यापित कराकर और ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करके तथा ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए किसी फ्लापी, डिस्कैट, मैग्नेटिक कार्ट्रिज, टेप, सीडी रोम या किसी अन्य कंप्यूटर पठनीय माध्यम पर उस अवधि के लिए ऐसी विवरणियां जो विहित की जाएं, तैयार करेगी और उन्हें विहित आय-कर प्राधिकारी को या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त करेगी या कराएगी।

यह और उपबंध किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उपधारा (1) में वर्णित किसी व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति से, जो अध्याय 17 के अधीन स्रोत पर कटौती के लिए दायी किसी आय का किसी निवासी को संदाय करने के लिए दायी है, अपेक्षा कर सकेगी कि वह ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में सत्यापित कराकर और ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करके तथा ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए किसी फ्लापी, डिस्कैट, मैग्नेटिक कार्ट्रिज, टेप, सीडी रोम या किसी अन्य कंप्यूटर पठनीय माध्यम पर ऐसी विवरणियां तैयार करे और विहित आय-कर प्राधिकारी को या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त करे या कराए।

आय-कर अधिनियम की धारा 272क में पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2009 से प्रभावी होगा।

खंड 68—आय-कर अधिनियम की धारा 206क के पश्चात् स्थायी लेखा संख्यांक देने की अपेक्षा करने से संबंधित नई धारा 206कक अंतःस्थापित करने के लिए है।

उक्त धारा की प्रस्तावित उपधारा (1) यह विनिर्दिष्ट करती है कि ऐसा कोई व्यक्ति, (जिसे इसमें इसके पश्चात् वह व्यक्ति कहा गया है जिसकी कटौती की जानी है) जो ऐसी राशि या आय या रकम प्राप्त करने के लिए हकदार है, जो अध्याय 17ख के अधीन कर की कटौती करने के योग्य है, ऐसे कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को (जिसे इसमें इसके पश्चात् कटौतीकर्ता कहा गया है) अपना स्थायी लेखा संख्यांक प्रस्तुत करेगा, जिसमें असफल रहने पर कर की कटौती, अधिनियम के सुसंगत उपबंधों में उल्लिखित दर से या प्रवृत्त दर से या बीस प्रतिशत की दर से, इनमें से जो भी अधिक हो, की जाएगी।

उक्त धारा की प्रस्तावित उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि धारा 197क के अधीन फाइल की गई घोषणा तभी विधिमान्य होगी जब घोषणा फाइल करने वाला व्यक्ति उस घोषणा में अपना स्थायी लेखा संख्यांक देता है।

उक्त धारा की प्रस्तावित उपधारा (3) यह उपबंध करती है कि उपधारा (2) के अधीन किसी घोषणा के अविधिमान्य हो जाने की दशा में कटौतीकर्ता उपधारा (1) के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती करेगा।

उक्त धारा की प्रस्तावित उपधारा (4) यह उपबंध करती है कि धारा 197 के अधीन कोई प्रमाणपत्र तभी दिया जाएगा जब उसमें आवेदक का स्थायी लेखा संख्यांक हो।

उक्त धारा की प्रस्तावित उपधारा (5) यह उपबंध करती है कि वह व्यक्ति

जिसकी कटौती की जानी है, कटौतीकर्ता को अपना स्थायी लेखा संख्यांक प्रस्तुत करेगा, जो अपने सभी ऐसे पत्र-व्यवहारों, बिलों, वाउचरों और अन्य दस्तावेजों में उसे उपदर्शित करेगा जो उस व्यक्ति को जिसकी कटौती की जानी है, भेजे जाएं।

उक्त धारा की प्रस्तावित उपधारा (6) यह उपबंध करती है कि जहां उस व्यक्ति द्वारा जिसकी कटौती की जानी है, दिया गया स्थायी लेखा संख्यांक अविधिमान्य है, या वह उस व्यक्ति से जिसकी कटौती की जानी है, संबंधित नहीं है तो यह समझा जाएगा कि कटौतीकर्ता को स्थायी लेखा संख्यांक नहीं दिया गया है और कर की कटौती उपधारा (1) के अनुसार की जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा।

खंड 69—एल्कोहाली लिकर, वनोत्पाद, स्क्रेप आदि में व्यापार के कारबार से लाभ और अभिलाभ से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 206ग का संशोधन करने के लिए है।

प्रस्तावित संशोधन यह उपबंध करने के लिए है कि इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् कर का संग्रहण करने वाला व्यक्ति संगृहीत किए गए कर का केन्द्रीय सरकार के खाते में संदाय किए जाने के पश्चात् विहित समय के भीतर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी अवधि के लिए जो विहित की जाए, ऐसे विवरण तैयार करेगा और ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में सत्यापित कराकर तथा ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए और ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए ऐसे विवरणों को विहित आय-कर प्राधिकारी या उस प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त करेगा या कराएगा।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2009 से प्रभावी होगा।

खंड 70—अग्रिम कर का संदाय करने के दायित्व की शर्तों से संबंधित आयकर अधिनियम की धारा 208 का संशोधन करने के लिए है।

धारा 208 यह विनिर्दिष्ट करती है कि अग्रिम कर प्रत्येक मामले में वहां संदेय होगा जहां किसी वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा संदेय ऐसे कर की रकम पांच हजार रुपए या उससे अधिक है।

उक्त सीमा को पांच हजार रुपए से बढ़ाकर दस हजार रुपए करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

खंड 71—आयुक्त (अपील) के समक्ष फाइल की गई अपील से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 246क का संशोधन करने के लिए है।

प्रस्तावित संशोधन आयुक्त (अपील) के समक्ष अपीलीय आदेश के रूप में विवाद समाधान पैनल के निर्देशों के अनुसरण में धारा 143 की उपधारा (3) के अधीन किसी आदेश को अपवर्जित करने के लिए है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अक्टूबर, 2009 से प्रभावी होगा।

खंड 72—अपील अधिकरण को अपीलों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 253 का संशोधन करने के लिए है।

उपधारा (1) के खंड (ग) के पश्चात् एक नया खंड अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विवाद समाधान पैनल के निर्देशों के अनुसरण में धारा 143 की उपधारा (3) के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश या ऐसे आदेश के अनुसरण में धारा 154 के अधीन पारित कोई आदेश उक्त धारा के अधीन अपील अधिकरण में अपीलीय है। प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अक्टूबर, 2009 से प्रभावी होगा।

खंड 73—आय-कर अधिनियम की धारा 271 का संशोधन करने के लिए है जो विवरणियां न देना, सूचनाओं का अनुपालन न करना, आय का छिपाना आदि के लिए अधिशेषणीय शास्तियों से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 5क में विद्यमान उपबंधों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन जहां 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् धारा 132 के अधीन

आरंभ की गई तलाशी के प्रक्रम में निर्धारिती— (i) किसी धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज का (जिसे इस स्पष्टीकरण में इसके पश्चात् आस्तियां कहा गया है) स्वामी होना पाया जाता है और निर्धारिती यह दावा करता है कि ऐसी आस्तियां उसके द्वारा ऐसे किसी पूर्ववर्ष के लिए अपनी आय का उपयोग (पूर्णतः या भागतः) करके अर्जित की गई हैं; या (ii) किन्हीं लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों या संव्यवहारों में किसी प्रविष्टि के आधार पर किसी आय का स्वामी होना पाया जाता है और निर्धारिती यह दावा करता है कि लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों या अन्य संव्यवहारों में ऐसी प्रविष्टि ऐसे किसी पूर्ववर्ष के लिए जो तलाशी की तारीख से पूर्व समाप्त हो गया है उसकी आय को (पूर्णतः या भागतः) प्रदर्शित करती है, और आय की विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख समाप्त हो गई है किन्तु निर्धारिती ने विवरणी फाइल नहीं की है वहां इस बात के होते हुए भी, कि ऐसी आय को तलाशी की तारीख को या उसके पश्चात् प्रस्तुत की गई आय की किसी विवरणी में उसके द्वारा घोषित कर दिया गया है, इस धारा की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन किसी शास्ति के अधिरोपण के प्रयोजनों के लिए ऐसे मामले में निर्धारिती के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपनी आय की विशिष्टियों को छिपाया है या ऐसी आय की अशुद्ध विशिष्टियां प्रस्तुत की हैं।

उक्त स्पष्टीकरण का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां ऐसे पूर्ववर्ष के लिए आय की विवरणी उक्त तारीख के पूर्व प्रस्तुत कर दी गई है किन्तु उसमें उस आय को घोषित नहीं किया गया है; वहां इस धारा की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन किसी शास्ति के अधिरोपण के प्रयोजनों के लिए ऐसे मामले में निर्धारिती के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपनी आय की विशिष्टियों को छिपाया है या ऐसी आय की अशुद्ध विशिष्टियां प्रस्तुत की हैं।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

खंड 74—आय-कर अधिनियम की धारा 272क का संशोधन करने के लिए है जो प्रश्नों का उत्तर देने, विवरणी पर हस्ताक्षर करने, सूचना, विवरणी या ब्योरे देने, विवरणियों या ब्योरों का निरीक्षण अनुज्ञात करने में असफलता के लिए शास्ति से संबंधित है।

विधेयक के खंड 67 द्वारा कर की कटौती के बिना निवासियों को ब्याज के संदाय के संबंध में तिमाही विवरणी के दिए जाने से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 206क का संशोधन करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित धारा यह उपबंध करने के लिए है कि धारा 194क की उपधारा (3) के खंड (i) के परंतुक में निर्दिष्ट कोई बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी या पब्लिक कंपनी, जो ब्याज (प्रतिभूतियों पर ब्याज से भिन्न) के रूप में जहां आदाता बैंककारी कंपनी है या सहकारी सोसाइटी है, दस हजार रुपए से अनधिक और किसी अन्य मामले में पांच हजार रुपए से अनधिक आय का किसी निवासी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी अवधि के लिए ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में सत्यापित कराकर और ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करके तथा ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए किसी फ्लामी, डिस्क्रेट, मैग्नेटिक कार्ट्रिज, टेप, सीडी रोम या किसी अन्य कंप्यूटर पठनीय माध्यम पर ऐसी विवरणियां तैयार करेगी और विहित आय-कर प्राधिकारी को या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त करेगी या कराएगी।

यह और उपबंध किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उपधारा (1) में वर्णित किसी व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति से, जो अध्याय 17 के अधीन स्रोत पर कटौती के लिए दायी किसी आय का किसी निवासी को संदाय करने के लिए दायी है, अपेक्षा कर सकेगी कि वह ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में सत्यापित कराकर और ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करके तथा ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए किसी फ्लामी, डिस्क्रेट, मैग्नेटिक कार्ट्रिज, टेप, सीडी रोम या किसी अन्य कंप्यूटर पठनीय माध्यम पर ऐसी विवरणियां तैयार करेगी और विहित आय-कर प्राधिकारी को या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त करे या कराए।

अतः, आय-कर अधिनियम की धारा 272क का पारिणामिक संशोधन करने का भी प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2009 से प्रभावी होगा।

खंड 75—कतिपय दशाओं में राजस्व के संरक्षण के लिए अनन्तिम कुर्की से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 281ख का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक के विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि जहां धारा 245ग के अधीन कोई आवेदन समझौता आयोग को किया जाता है वहां धारा 245घ की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश करने में समझौता आयोग द्वारा लिए गए समय को इस धारा के अधीन अनन्तिम कुर्की की परिसीमा की अवधि की संगणना करने के लिए अपवर्जित किया जाएगा।

पूर्वोक्त धारा 281ख की उपधारा (2) में तीसरा परंतुक अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उस अवधि को, जिसके दौरान निर्धारण की कार्यवाहियों को किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोका गया है, पूर्वोक्त उपधारा के पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट अनन्तिम कुर्की के प्रवर्तन की अवधि से अपवर्जित किया जाएगा।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 1988 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 1988-1989 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 76—आय-कर अधिनियम की धारा 282 का प्रतिस्थापन करने के लिए है जो साधारणतया सूचना की तामील से संबंधित है।

उक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, अधिनियम के अधीन सूचना या अध्यक्षता की तामील उसमें नामित व्यक्ति पर या तो डाक द्वारा की जा सकेगी या इस प्रकार की जा सकेगी मानो वह न्यायालय द्वारा जारी किया गया समन हो।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि किसी सूचना या समन या अध्यक्षता या आदेश या किसी अन्य संसूचना की तामील या तो डाक द्वारा या कुरियर सर्विस द्वारा या ऐसी रीति में, जो समनों की तामील के प्रयोजनों के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में उपबंधित की गई है या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अध्याय 4 में यथाउपबंधित किसी इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में या पारेषण के ऐसे किसी अन्य साधन द्वारा उसकी एक प्रति परिदत्त या संप्रेषित करके की जा सकेगी जो इस निमित्त बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा उपबंधित की गई हो।

यह भी प्रस्ताव है कि बोर्ड उन पतों के लिए उपबंध करने वाले नियम बना सकेगा (जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रॉनिक डाक या इलैक्ट्रॉनिक डाक संदेश के लिए पता भी है) जिस पर ऐसी संसूचना परिदत्त की जा सकेगी।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2009 से प्रभावी होगा।

खंड 77—दस्तावेज पहचान संख्यांक के आबंटन से संबंधित आय-कर अधिनियम में नई धारा 282ख अंतःस्थापित करने के लिए है।

आय-कर अधिनियम में नई धारा 282ख अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रत्येक आय-कर प्राधिकारी उसके द्वारा किसी अन्य आय-कर प्राधिकारी या निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति को जारी की गई प्रत्येक सूचना, आदेश, पत्र या किसी पत्र-व्यवहार के संबंध में कंप्यूटर जनित दस्तावेज पहचान संख्यांक आबंटित करेगा और उसमें उस संख्यांक को उद्धृत करेगा। यह और प्रस्ताव किया जाता है कि जहां किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा जारी की गई सूचना, आदेश, पत्र या किसी अन्य पत्र-व्यवहार में दस्तावेज पहचान संख्यांक नहीं दिया जाता है वहां उस सूचना, आदेश, पत्र या किसी पत्र-व्यवहार को अविधिमान्य माना जाएगा और कभी जारी न किया गया समझा जाएगा।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा या ऐसे प्राधिकारी की ओर से प्राप्त किए गए प्रत्येक दस्तावेज, पत्र या किसी पत्र-व्यवहार को कंप्यूटर जनित दस्तावेज पहचान संख्यांक आबंटित करने और उद्धृत करने के पश्चात् ही स्वीकार किया जाएगा। यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव किया जाता है कि जहां किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा या ऐसे प्राधिकारी की ओर से प्राप्त किए गए प्रत्येक दस्तावेज, पत्र या किसी पत्र-व्यवहार में दस्तावेज पहचान संख्यांक नहीं होता है वहां ऐसे दस्तावेज, पत्र या किसी पत्र-व्यवहार को अविधिमान्य माना जाएगा और कभी जारी न किया गया समझा जाएगा।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2010 से प्रभावी होगा।

खंड 78—आय-कर अधिनियम में निर्धारिती को दिए गए अनुमोदन को वापस लेने की शक्ति से संबंधित नई धारा 293ग अंतःस्थापित करने के लिए है।

आय-कर अधिनियम में नई धारा 293ग अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसा आय-कर प्राधिकारी, जिससे इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन किसी निर्धारिती को कोई अनुमोदन प्रदान करने की शक्ति प्रदत्त की गई है किसी भी समय ऐसे अनुमोदन को वापस ले सकेगा, यद्यपि ऐसे अनुमोदन को वापस लेने वाला ऐसा उपबंध उस उपबंध में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित नहीं किया गया है।

तथापि, आय-कर प्राधिकारी संबंधित निर्धारिती को प्रस्तावित अनुमोदन वापस लिए जाने के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर देगा और तत्पश्चात् अनुमोदन को वापस ले लेगा और ऐसा किए जाने के लिए कारण अभिलिखित करेगा।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2009 से प्रभावी होगा।

खंड 79—गैर-जीवन बीमा कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना से संबंधित आय-कर अधिनियम की पहली अनुसूची के नियम 5 का संशोधन करने के लिए है।

आय-कर अधिनियम की उक्त अनुसूची के नियम 5 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन गैर-जीवन बीमा के लाभों और अभिलाभों को उक्त नियम 5 के खंड (क) और खंड (ग) के अधीन समायोजनों के अधीन रहते हुए बीमा अधिनियम, 1938 के अनुसार वार्षिक लेखाओं से प्रकट लाभ के रूप में माना जाएगा।

प्रस्तावित संशोधन उक्त अनुसूची के नियम 5 का संशोधन करके यह उपबंध करने के लिए है कि जीवन बीमा से भिन्न किसी बीमा कारबार के लाभों और अभिलाभों को पूर्वोक्त नियम 5 के खंड (क) और खंड (ग) और विक्रय पर अभिलाभ या हानि के लिए समायोजन या विनिधानों के उन्मोचन या विनिधान के मूल्य में समायोजन के लिए उपबंध करने हेतु नए, अंतःस्थापित खंड (ख) में उल्लिखित समायोजनों के अधीन रहते हुए, बीमा अधिनियम, 1938 या उसके अधीन बनाए गए नियमों या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अनुसार तैयार किए गए लाभ और हानि लेखे में प्रकट किए गए कर और विनियोजनों से पूर्व लाभ माना जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2011-2012 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 80—आय-कर अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग क का संशोधन करने के लिए है जो भविष्य निधियों को मान्यता देने से संबंधित है।

चौथी अनुसूची के भाग क का नियम 3 यह उपबंध करता है कि मुख्य आयुक्त या आयुक्त ऐसी किसी भविष्य निधि को मान्यता दे सकेगा, जो उसकी राय में उक्त चौथी अनुसूची के भाग क में नियम 4 के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों और ऐसी शर्तों की पूर्ति करती है, जो बोर्ड नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

उक्त नियम 3 के उपनियम (1) का पहला परंतुक यह उपबंध करता है कि जहां किसी भविष्य निधि को 31 मार्च, 2006 को या उसके पूर्व मान्यता प्रदान की गई है और ऐसी भविष्य निधि नियम 4 के खंड (डक) में उपवर्णित शर्तों और ऐसी किसी अन्य शर्तों को पूरा नहीं करती है जो बोर्ड नियमों द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, तो ऐसी निधि की मान्यता को, यदि ऐसी निधि 31 मार्च, 2009 को या उसके पूर्व ऐसी शर्तों को पूरा नहीं करती है, वापस ले लिया जाएगा।

उपनियम (1) के उक्त परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उक्त समय-सीमा को 31 मार्च, 2009 से विस्तारित करके 31 दिसंबर, 2010 किया जा सके।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

खंड 81—आय-कर अधिनियम की तेरहवीं अनुसूची का संशोधन करने के लिए है।

उक्त अनुसूची में, हिमाचल प्रदेश राज्य और उत्तराखंड राज्य की दशा में उक्त

अधिनियम की धारा 80झग के अधीन कटौतियों का उपभोग करने के प्रयोजन के लिए वस्तुओं या चीजों, उत्पाद वर्गीकरण और राज्यों की सूची विनिर्दिष्ट है।

यह प्रस्ताव है कि उक्त तेरहवीं अनुसूची के भाग ख के अधीन क्रम सं० 19 को प्रतिस्थापित किया जाए, जो कतिपय नई वस्तुओं या चीजों और उत्पाद वर्गीकरण को विनिर्दिष्ट करता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा।

धन-कर

खंड 82—धन-कर के प्रभारण से संबंधित धन-कर अधिनियम की धारा 3 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, प्रत्येक व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब और कंपनी के तत्संबंधी मूल्यांकन की तारीख को शुद्ध धन की बाबत धन-कर, ऐसी रकम के, जिससे शुद्ध धन पन्द्रह लाख रुपए से अधिक हो जाता है, एक प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जाएगा।

उपधारा (2) के पश्चात् एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि 1 अप्रैल, 2010 से ही प्रारंभ होने वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए प्रत्येक व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब और कंपनी के तत्संबंधी मूल्यांकन की तारीख को शुद्ध धन की बाबत धन-कर, ऐसी रकम के, जिससे शुद्ध धन तीस लाख रुपए से अधिक हो जाता है, एक प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-2011 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 83—धन-कर अधिनियम की धारा 44क का संशोधन करने के लिए है जो धन-कर से संबंधित दोहरे कराधान से अपवंचन या राहत के लिए करार से संबंधित है।

विद्यमान उपबंध के अधीन केंद्रीय सरकार को उक्त अधिनियम के अधीन और उस पारस्परिक विदेश में प्रवृत्त तत्समान विधि के अधीन संदेय धन-कर की बाबत राहत प्रदान करने के लिए भारत से बाहर किसी पारस्परिक देश की सरकार के साथ करार करने की शक्ति प्रदान की गई है।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे केंद्रीय सरकार को, उक्त विद्यमान धारा 44क में यथा उपबंधित विदेशों के साथ करार करने के अतिरिक्त, भारत के बाहर किसी राज्यक्षेत्र, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, की सरकार के साथ करार करने की शक्ति प्रदान की जा सके।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2009 से प्रभावी होगा।

सीमाशुल्क अधिनियम

खंड 84—एसे आयातित माल पर, जो एसे आयातित माल के रूप आसानी से पहचान योग्य है, यदि माल दोषपूर्ण पाया जाता है या आयातकर्ता या माल के प्रदायकर्ता के बीच करार किए गए विनिर्देशों के अनुसार नहीं पाया जाता है, माल की सीमाशुल्क अधिकारी के समाधानप्रद रूप में पहचान की जाती है, माल को निर्यात किया गया है या आयातकर्ता ने माल के अपने हक आदि का परित्याग कर दिया है, घरेलू उपभोग के लिए निकासी के समय संदत्त आयात शुल्क के प्रतिदाय का उपबंध करने हेतु एक नई धारा 26क अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे अंतरराष्ट्रीय सीमाशुल्क प्रक्रिया सरलीकरण और सामंजस्य संबंधी अभिसमय के अधीन मानकों का अनुपालन किया जा सके। (पुनरीक्षित क्योटो अभिसमय)

खंड 85—धारा 28च का यह उपबंध करने की दृष्टि से संशोधन करने के लिए है कि केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा आय-कर अधिनियम की धारा 245ण के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी को सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के प्रयोजनों के लिए प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए इस उपांतरण के साथ प्राधिकृत कर सकेगी कि भारतीय सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सेवा का कोई ऐसा सदस्य, जो बोर्ड का सदस्य होने के लिए अर्हित है उक्त प्राधिकरण के सदस्य के रूप में कार्य करेगा और सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकरण के समक्ष लंबित सभी आवेदन और कार्यवाहियां अधिसूचना की तारीख से ऐसे अधिसूचित

प्राधिकारी को अंतरित हो जाएंगी। उक्त धारा की उपधारा (2ख) यह उपबंध करती है कि उपधारा (1) के अधीन गठित प्राधिकरण उपधारा (2क) के अधीन अधिसूचना जारी किए जाने पर निष्क्रिय रहेगी।

खंड 86—सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 130 का 1 जुलाई, 2003 से भूतलक्षी रूप से संशोधन करने के लिए है जिससे कि एक सौ अस्सी दिन की विहित अवधि के परे अपील फाइल करने में विलंब को माफ करने के लिए उच्च न्यायालय को सशक्त करने वाला स्पष्ट उपबंध किया जा सके क्योंकि कतिपय निर्णयों में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि उच्च न्यायालयों को उक्त उपबंध के अधीन विलंब को माफ करने की कोई शक्ति नहीं है। यह संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है। अतः, यह इन न्यायालयों के समक्ष लंबित अपीलों और पुनर्विलोकनों सहित सभी अपीलों और पुनर्विलोकन याचिकाओं को लागू होगा।

खंड 87—सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 130क का भूतलक्षी रूप से 1 जुलाई, 1999 से संशोधन करने के लिए है जिससे कि, यथास्थिति, उपधारा (1) और उपधारा (3) में यथाविहित सुसंगत अवधि के परे आवेदन या प्रत्याक्षेपों के ज्ञापन फाइल करने में विलंब को माफ करने के लिए उच्च न्यायालय को सशक्त करने वाला स्पष्ट उपबंध किया जा सके क्योंकि कतिपय निर्णयों में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि उच्च न्यायालयों को उक्त उपबंध के अधीन विलंब को माफ करने की कोई शक्ति नहीं है। यह संशोधन प्रक्रिया संबंधी प्रकृति का है। अतः, यह इन न्यायालयों के समक्ष लंबित, यथास्थिति, आवेदनों या अपीलों या पुनर्विलोकनों सहित सभी आवेदनों, अपीलों और पुनर्विलोकन याचिकाओं को लागू होगा।

खंड 88—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 137 की उपधारा (3) का संशोधन करने के लिए है, जिससे—

(क) केन्द्रीय सरकार को अपराधों के प्रशमन की रीति का उपबंध करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त किया जा सके ;

(ख) उस उपधारा में एक परंतुक अंतःस्थापित करके कतिपय परिस्थितियों में प्रशमन और कतिपय गंभीर अपराधों का भी प्रशमन किए जाने से अपवर्जित किया जा सके।

खंड 89—प्रशमन की रीति के संबंध में नियम बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 156 का संशोधन करने के लिए है।

खंड 90—(i) माल के निर्यात और उसके संबंध में हक के परित्याग और उसे सीमाशुल्क अधिकारी के पास छोड़ने और समुचित अधिकारी की उपस्थिति में माल को नष्ट करने या उसे मूल्यविहीन बनाने की रीति;

(ii) शुल्क के प्रतिदाय के लिए आवेदन फाइल करने की रीति और उसका प्ररूप, का उपबंध करने के लिए विनियम बनाने हेतु बोर्ड को सशक्त करने के लिए सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 157 का संशोधन करने के लिए है।

खंड 91—सा0का0नि0 सं0 173, तारीख 17 मार्च, 2009 द्वारा प्रकाशित उस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने के लिए है जिसके द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की उपधारा (1) के अधीन सीमाशुल्क अधिकारियों को नियुक्त किया गया था और उनकी अधिकारिता के क्षेत्र को विनिर्दिष्ट किया गया था तथा ऐसे सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा 9 मार्च, 2000 से की गई कार्यवाहियों को इस रूप में विधिमान्य किया गया था मानो ऊपर निर्दिष्ट अधिसूचना में विनिर्दिष्ट उनकी अधिकारिता का क्षेत्र सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में था।

खंड 92—अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 260 (अ), तारीख 1 मई, 2006 का भूतलक्षी रूप से 1 मई, 2006 से संशोधन करने के लिए है, जिससे,—

(क) ऐसी सामग्रियों के संबंध में, जो स्थानीय रूप से उपाप्त की गई हैं और निःशुल्क आयात प्राधिकार स्कीम के अधीन आयात किए गए माल के विनिर्माण में प्रयुक्त की गई हैं केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 18 या नियम 19 के उपनियम (2) के अधीन सुविधा या केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के अधीन केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय अनुज्ञात किया जा सके ;

(ख) यह उपबंध किया जा सके कि निःशुल्क पुनः पूर्तियों का, जिनके संबंध में, ऊपर (क) में कथित सुविधाओं का उपभोग किया गया है निर्यातकर्ता के कारखाने में या उसके सहायक विनिर्माता के कारखाने में निर्यात बाध्यता के निर्वहन के पश्चात् भी शुल्क्य माल के विनिर्माण के लिए उपयोग किया जाएगा;

(ग) यह उपबंध किया जा सके कि आयातकर्ता उक्त सामग्री की निकासी की तारीख से पन्द्रह प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित अतिरिक्त सीमाशुल्क के बराबर राशि का संदाय करेगा यदि—

(i) सामग्री को क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा अंतरित प्राधिकार के संबंध में आयात किया जाता है ; या

(ii) आयातित माल को क्षेत्रीय प्राधिकारी की अनुमति से अंतरित किया जाता है,

किन्तु, 1 मई, 2006 से 31 मार्च, 2007 तक जारी प्राधिकारों के संबंध में ऐसी रकम संदेय नहीं होगी ; और

(घ) उक्त अधिसूचनाओं के प्रयोजनों के लिए “शुल्क्य-माल” शब्दों को परिभाषित किया जा सके।

सीमाशुल्क टैरिफ

खंड 93—सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 का संशोधन करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के संग्रहण के लिए केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा भारत में उपाप्त या विनिर्मित की गई किसी वस्तु के लिए टैरिफ मूल्य नियत किया है, वहां उसी प्रकार की आयातित वस्तु के मूल्य को ऐसा टैरिफ मूल्य समझा जाएगा।

खंड 94—सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8ख का भूतलक्षी रूप से संशोधन करने के लिए है जिससे कतिपय आयातों पर विनिर्दिष्ट सुरक्षा शुल्क की बाबत सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के मशीनरी संबंधी उपबंधों को, जिनके अंतर्गत शुल्क की दर के अवधारण, निर्धारण, उद्ग्रहण न करने, कम उद्ग्रहण करने, प्रतिदाय, ब्याज, अपीलों, देशी विनिर्दिष्ट सुरक्षा शुल्क की बाबत धारा 8ग के अपराधों और शास्तियों के अवधारण की तारीख से संबंधित उपबंध भी हैं।

खंड 95—सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम, जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश के अधीन की गई कतिपय कार्रवाइयों को विधिमान्य करने के लिए है। यह कतिपय न्यायिक निर्णयों द्वारा प्रभावी की गई कतिपय कार्रवाइयों को विधिमान्य करने के लिए आवश्यक हो गया है।

खंड 96—सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8ग का भूतलक्षी रूप से संशोधन करने के लिए है जिससे कतिपय आयातों पर विनिर्दिष्ट सुरक्षा शुल्क की बाबत सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के मशीनरी संबंधी उपबंधों को, जिनके अंतर्गत शुल्क की दर के अवधारण, निर्धारण, उद्ग्रहण न करने, कम उद्ग्रहण करने, प्रतिदाय, ब्याज, अपीलों, देशी विनिर्दिष्ट सुरक्षा शुल्क की बाबत धारा 8ग के अपराधों और शास्तियों के अवधारण की तारीख से संबंधित उपबंध भी हैं।

खंड 97—सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम, जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश के अधीन की गई कतिपय कार्रवाइयों को विधिमान्य करने के लिए है। यह कतिपय न्यायिक निर्णयों द्वारा प्रभावी की गई कतिपय कार्रवाइयों को विधिमान्य करने के लिए आवश्यक हो गया है।

खंड 98—सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 का भूतलक्षी रूप से संशोधन करने के लिए है जिससे सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के मशीनरी संबंधी उपबंधों को, जिनके अंतर्गत शुल्क की दर के अवधारण, निर्धारण, उद्ग्रहण न करने, कम उद्ग्रहण करने, प्रतिदाय, ब्याज, अपीलों, अपराधों और शास्तियों से संबंधित उपबंध भी हैं, सहायता प्राप्त वस्तुओं के रूप में प्रतिरोधी शुल्क की बाबत धारा 9 तक विस्तारित किए जा सकें।

खंड 99—सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम, जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश के अधीन की गई कतिपय कार्रवाइयों

को विधिमान्य करने के लिए है। यह कतिपय न्यायिक निर्णयों द्वारा प्रभावी की गई कतिपय कार्रवाइयों को विधिमान्य करने के लिए आवश्यक हो गया है।

खंड 100—सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क का निम्नानुसार संशोधन करने के लिए है,—

(क) उपखंड (i) निर्यातक के लिए विनिर्दिष्ट बनाने की दृष्टि से उपधारा (1) में “किसी निर्यातक या उत्पादक द्वारा” शब्द अंतःस्थापित करने के लिए है ;

(ख) उपखंड (ii) धारा 6क अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी निर्यातक या उत्पादक द्वारा निर्यात की गई वस्तुओं के संबंध में पाटन के अंतर का अवधारण ऐसे निर्यातक या उत्पादक द्वारा रखे गए अभिलेख के आधार पर किया जाएगा ;

(ग) उपखंड (iii) सीमाशुल्क अधिनियम के तंत्र से संबंधित मशीनरी से संबंधित उपबंधों को, जिनके अंतर्गत शुल्क की दर के अवधारण, निर्धारण, अनुदग्रहण, कम उद्ग्रहण, प्रतिदाय, ब्याज, अपीलों, अपराधों और शास्तियों से संबंधित उपबंध भी हैं, भूतलक्षी रूप से प्रतिपाटन शुल्क की बाबत धारा 9क तक विस्तारित करने के लिए है।

खंड 101—सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम, जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश या ऐसे नियम या विनियम के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना या आदेश के अधीन 1 जनवरी, 1995 से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को समाप्त होने वाली, जिसको वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2009 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, अवधि के दौरान किसी समय की गई कतिपय कार्रवाइयों को विधिमान्य करने के लिए है।

खंड 102—सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग 11 के टिप्पण 2 के पैरा (क) का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अध्याय 50 से 55 में या शीर्ष 5809 या 5902 में वर्गीकरणीय और दो या अधिक टैक्सटाइल्स सामग्रियों के मिश्रण के माल इस तरह वर्गीकृत किए जाने हैं मानो वे पूर्ण रूप से केवल एकल टैक्सटाइल सामग्री से बने हैं जो भार के अनुसार किसी अन्य एकल टैक्सटाइल सामग्री के ऊपर अधिमान रखती है। तथापि जब भार के अनुसार किसी अन्य एकल टैक्सटाइल सामग्री की अधिमानता नहीं है तब उस माल को ऐसे वर्गीकृत किया जाएगा मानो वह उस एकल ही टैक्सटाइल सामग्री से पूर्णतः बना है जो उस शीर्ष के अंतर्गत आती है जो उन शीर्षों में संख्या के क्रम में अंत में आता है जिस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है।

उत्पाद-शुल्क

खंड 103—केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 9क का उसमें “और ऐसी रीति में” शब्दों और उसकी उपधारा (2) में परंतुक अंतःस्थापित करके उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है जिससे अपराधों के प्रशमन की रीति का और कतिपय ऐसे अपराधों और परिस्थितियों का उपबंध किया जा सके जिनमें अपराध प्रशमनीय नहीं होंगे।

खंड 104—धारा 14क का, उपधारा (1) और उपधारा (2) में, “चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट” शब्दों को अंतःस्थापित करके और उक्त धारा में एक स्पष्टीकरण जोड़कर संशोधन करने के लिए है, जिससे मुख्य केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त को इस धारा के अधीन विशेष संपरीक्षा के लिए चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट या लागत लेखापाल को नामनिर्दिष्ट करने और “चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट” पद को स्पष्ट करने के लिए सशक्त किया जा सके।

खंड 105—धारा 114कक का, उपधारा (1) और उपधारा (2) में, “चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट” शब्दों को अंतःस्थापित करके और उक्त धारा में स्पष्टीकरण जोड़कर संशोधन करने के लिए है, जिससे मुख्य केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त को इस धारा के अधीन विशेष संपरीक्षा के लिए चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट या लागत लेखापाल को नामनिर्दिष्ट करने और “चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट” पद को स्पष्ट करने के लिए सशक्त किया जा सके।

खंड 106—धारा 23क के खंड (घ) में “प्राधिकरण” की परिभाषा का संशोधन करते हुए उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है।

खंड 107—केंद्रीय-उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35छ का 1 जुलाई, 2003 से भूतलक्षी रूप से संशोधन करने के लिए है जिससे कि एक सौ अस्सी दिनों की विहित अवधि के परे अपील फाइल करने में विलंब को माफ करने के लिए उच्च न्यायालय को सशक्त करने वाला स्पष्ट उपबंध किया जा सके क्योंकि कतिपय निर्णयों में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि उच्च न्यायालयों को उक्त उपबंध के अधीन विलंब को माफ करने की कोई शक्ति नहीं है। यह संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है। अतः, यह इन न्यायालयों के समक्ष लंबित अपीलों और पुनर्विलोकनों सहित सभी अपीलों और पुनर्विलोकन याचिकाओं को लागू होगा।

खंड 108—केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ज का 1 जुलाई, 1999 से भूतलक्षी रूप से संशोधन करने के लिए है जिससे कि, यथास्थिति, उपधारा (1) और उपधारा (3) में यथाविहित सुसंगत अवधि के परे आवेदन या प्रत्याक्षेपों के ज्ञापन फाइल करने में विलंब को माफ करने के लिए उच्च न्यायालय को सशक्त करने वाला स्पष्ट उपबंध किया जा सके क्योंकि कतिपय निर्णयों में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि उच्च न्यायालयों को उक्त उपबंध के अधीन विलंब को माफ करने की कोई शक्ति नहीं है। यह संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है अतः, यह उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपीलों और पुनर्विलोकनों सहित सभी आवेदनों, अपीलों और पुनर्विलोकन याचिकाओं को लागू होगा।

खंड 109—प्रशमन की रीति के संबंध में नियम बनाने के लिए केंद्रीय सरकार को सशक्त करने हेतु केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 का संशोधन करने के लिए है।

खंड 110—अधिसूचना सं० सा०का०नि० 448(अ), तारीख 1 अगस्त, 1997, सा०का०नि० 503(अ), तारीख 30 अगस्त, 1997 और अधिसूचना सं० सा०का०नि० 130 (अ), तारीख 10 मार्च, 1998 का भूतलक्षी रूप से, अर्थात् संबंधित अधिसूचनाओं के जारी किए जाने की तारीख से संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केंद्रीय सरकार को केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की तत्कालीन धारा 3क द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों के कारण इन अधिसूचनाओं के अधीन उत्पाद-शुल्क की दरों को अधिसूचित करने की शक्ति थी।

उत्पाद-शुल्क टैरिफ

खंड 111—केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का, (i) अध्याय 8 के टिप्पण 1 को प्रतिस्थापित करके, जिससे उक्त अध्याय के अंतर्गत आने वाले ऐसी मदों को विनिर्दिष्ट किया जा सके, (ii) अध्याय 21 में टिप्पण 6 अंतःस्थापित करके, जिससे पान सुपारी में कतिपय घटकों को मिलाने या मिश्रित करने की प्रक्रिया को “विनिर्माण” की कोटि में आने की घोषणा की जा सके, और (iii) टैरिफ मद 5801 22 10 के सामने की प्रविष्टि का संशोधन करके, जिससे उसमें शुल्क की इकाई, मात्रा और दर उपबंधित की जा सके, संशोधन करने के लिए है।

सेवा कर

खंड 112—कतिपय कराधेय सेवाओं को अंतःस्थापित करते हुए, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 का संशोधन करने और कतिपय विद्यमान उपबंधों का संशोधन करने के लिए भी है।

उपखंड (1) उक्त धारा के खंड (19) का, “कारबार सहायक सेवा” को पुनः परिभाषित करके, संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केवल उन्हीं प्रसंस्करणों को, जिनके परिणामस्वरूप उत्पाद-शुल्क माल का विनिर्माण होता है, “कारबार सहायक सेवा” की परिधि से बाहर किया जाएगा।

उपखंड (2) उप-दलालों को कराधेय सेवा की परिधि से बाहर करने की दृष्टि से उक्त धारा के खंड (101) का संशोधन करने के लिए है।

उपखंड (3) उक्त धारा के खंड (105) का संशोधन करने के लिए है।

उसकी मद (क) उपखंड (यययत) का संशोधन करने के लिए है जिससे माल के रेल द्वारा परिवहन पर सेवा कर के अधिरोपण को सम्मिलित किया जा सके।

उसकी मद (ख) सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर का उपयोग करने के अधिकार के “प्रदाता” पद, और न कि “अर्जनकर्ता” पर सेवा कर का संदाय करने का दायित्व नियत करने के प्रयोजन के लिए उपखंड (ययययड) का संशोधन करने के लिए है और इसलिए “अर्जन करना” शब्दों के स्थान पर, “प्रदान करना” शब्द, 16 मई, 2008 से भूतलक्षी रूप से रखे जाने का प्रस्ताव है। यह वह तारीख है, जिसको उपखंड (ययययड) के अधीन सेवा को वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 में सम्मिलित किया गया था।

उसकी मद (ग) निम्नलिखित अंतःस्थापित करने के लिए है —

उपखंड (ययययट) स्वास्थ्योपयोगी विकारों, विकास संबंधी विसामान्यताओं, अपजनित रोगों या मानसिक आघात के कारण प्रभावित शरीर रचना या कृत्यों को बहाल करने या पुनः सन्निर्मित करने के लिए की गई शल्य चिकित्सा से भिन्न प्रसाधन शल्य चिकित्सा या प्लास्टिक शल्य चिकित्सा के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्ति को दी गई सेवाओं पर सेवा कर अधिरोपित करने के लिए है।

उपखंड (ययययट) तटीय माल और अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से माल के अंतरण के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को दी गई सेवाओं पर सेवा कर अधिरोपित करने के लिए है।

उपखंड (ययययड) किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरणों के समक्ष उपसंजात होने के अलावा विधि की किसी शाखा में सलाह, परामर्श या सहायता देने के संबंध में किसी कारबार एकक द्वारा किसी कारबार एकक को दी गई सेवाओं पर सेवा कर अधिरोपित करने के लिए है और “कारबार एकक” को परिभाषित किया गया है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों के संगम, व्यष्टि-निकाय, कंपनी या फर्म को सम्मिलित किया गया है किन्तु किसी व्यष्टि को सम्मिलित नहीं किया गया है।

खंड (आ) उपखंड (ययययट), उपखंड (ययययट) और उपखंड (ययययड) द्वारा अंतःस्थापित नई सेवाओं को उसकी परिधि के भीतर लाने के प्रयोजन के लिए धारा 66 में पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है।

खंड (इ) सेवा कर की अपील प्रक्रिया को केंद्रीय उत्पाद-शुल्क की अपील प्रक्रिया के अनुसार बनाने की दृष्टि से धारा 84 को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है। अतः, धारा 84 के अधीन केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त द्वारा पुनरीक्षण की शक्ति को हटाने का प्रस्ताव है। उक्त धारा में संशोधन द्वारा केंद्रीय-उत्पाद शुल्क आयुक्त के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों को केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त (अपील) को विहित अवधि के भीतर निर्देशित किए जाने की प्रक्रिया का उपबंध करने का प्रस्ताव है, जहां ऐसे आदेशों का पुनर्विलोकन किए जाने के लिए आयुक्त द्वारा कोई ऐसा निर्देश किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह उपबंध करने के लिए स्पष्टीकरण के रूप में व्यावृत्ति खंड सम्मिलित करने का प्रस्ताव है कि संशोधित उपबंध वित्त विधेयक के प्रारंभ से पूर्व आयुक्त के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश को लागू नहीं होगा।

खंड (ई) में “या धारा 84” शब्दों और अंकों का लोप करते हुए धारा 86 में पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है।

खंड (उ) में उसकी उपधारा (2) में खंड (जजज) अंतःस्थापित करते हुए संदेय सेवा कर के अवधारण के लिए तारीख और स्थान की बाबत नियम बनाने के लिए केंद्रीय सरकार को सशक्त करने हेतु धारा 94 का संशोधन करने का प्रस्ताव है।

खंड (ऊ) में आदेश करने से कठिनाइयों को दूर करने के लिए केंद्रीय सरकार को सशक्त करने हेतु धारा 95 का संशोधन करने का प्रस्ताव है।

खंड (ए) 16 मई, 2008 से भूतलक्षी रूप से धारा 65 के खंड (105) के उपखंड (ययययड) की मद (v) और मद (vi) के उपबंधों के कारण की गई कतिपय कार्रवाइयों या बातों को विधिमाम्य करने का प्रस्ताव करता है।

खंड (ऐ) में 1 जनवरी, 2005 से भूतलक्षी रूप से भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 10(अ), तारीख 5 जनवरी, 2009 द्वारा माल परिवहन अधिकरण को विनिर्दिष्ट कराधेय सेवाएं प्रदान करने वाले किसी व्यक्ति को दी गई छूट को विधिमाम्य करने का प्रस्ताव है।

खंड (ओ) में उसके खंड (घ) में, “प्राधिकरण” की परिभाषा का संशोधन करते हुए, धारा 96क का संशोधन करने का प्रस्ताव है।

प्रकीर्ण

खंड 113—भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 13 का संशोधन करने के लिए है।

धारा 13 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि आय-कर अधिनियम, 1961 या कर या आय, लाभ या हानि से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में किसी बात के होते हुए भी, विनिर्दिष्ट उपक्रम के संबंध में व्युत्पन्न किसी आय, लाभ या हानि या प्राप्त किसी रकम की बाबत विनिर्दिष्ट उपक्रम के संबंध में प्रशासक द्वारा 31 मार्च, 2009 से परे आय-कर या कोई अन्य कर संदेय नहीं होगा।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे छूट को 1 अप्रैल, 2009 से प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए विस्तारित किया जा सके।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होगा।

खंड 114—वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 के अध्याय 7 में नई धारा 113क अंतःस्थापित करने के लिए है जो अध्याय 7 के उपबंधों के लागू न होने से संबंधित है।

उक्त अध्याय में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में उस तारीख से, जिसको यह अध्याय केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से प्रवृत्त होता है, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में किए गए कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों पर क्रेता द्वारा संदेय कर के उद्ग्रहण के लिए उपबंध है।

उक्त अध्याय में नई धारा अंतर्विष्ट अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के उपबंध नई पेंशन प्रणाली न्यास के लिए या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा किए गए “कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों” को लागू नहीं होगी।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अक्टूबर, 2009 से प्रभावी होगा।

खंड 115—वित्त अधिनियम, 2008 में नई धारा 121क अंतःस्थापित करने के लिए है जो अध्याय 7 के उपबंधों का वस्तु संव्यवहार कर को लागू न होने से संबंधित है।

विद्यमान अध्याय 7 वस्तु संव्यवहार कर से संबंधित उपबंधों के लिए उपबंध करता है। नई धारा 121क को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि 1 अप्रैल, 2009 को या उसके पश्चात् प्रभावी किए गए कराधेय वस्तु संव्यवहार से संबंधित अध्याय 7 के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्रस्तावित संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होगा।

खंड 116—वित्त अधिनियम, 2009 (2009 का 29) को निरसित करने के लिए है।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 3 परिभाषाओं से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है।

प्रस्तावित संशोधन उक्त धारा में नया खंड (22ककक) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे "निर्वाचन न्यास" को केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में बनाई गई स्कीम के अनुसार बोर्ड द्वारा उस रूप में अनुमोदित न्यास के रूप में परिभाषित किया जा सके।

तदनुसार केंद्रीय सरकार को इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में स्कीम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

विधेयक का खंड 8 नई धारा 13ख अंतःस्थापित करने के लिए है जिसमें निर्वाचन न्यासों द्वारा प्राप्त स्वैच्छिक अभिदायों से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है।

प्रस्तावित नई धारा यह उपबंध करती है कि किसी निर्वाचन न्यास द्वारा प्राप्त कोई स्वैच्छिक अभिदाय ऐसे निर्वाचन न्यास की पूर्ववर्ष की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, यदि—

(क) ऐसा निर्वाचन न्यास उक्त पूर्ववर्ष के दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी राजनैतिक दल को किसी पूर्ववर्षी पूर्ववर्ष के अग्रणीत अधिशेष सहित, यदि कोई हो, उक्त पूर्ववर्ष के दौरान उसके द्वारा प्राप्त सकल संदानों का पचानवें प्रतिशत वितरित करता है; और

(ख) ऐसा निर्वाचन न्यास केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कार्य करता है।

तदनुसार केंद्रीय सरकार को इस धारा के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

विधेयक का खंड 9 आय-कर अधिनियम की धारा 17 का संशोधन करने के लिए है जो "वेतन", "परिलब्धि" और "वेतन के बदले में लाभ" पदों को परिभाषित करता है।

प्रस्तावित संशोधन धारा 17 के खंड (2) के उपखंड (vi) को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि परिलब्धि के अंतर्गत निर्धारिती को निःशुल्क या रियायती दर पर नियोजक या भूतपूर्व नियोजक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आबंटित या अंतरित की गई किसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य शेरों का मूल्य सम्मिलित होगा। खंड (vii) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि परिलब्धि के अंतर्गत नियोजक द्वारा निर्धारिती के संबंध में एक लाख रुपए से अधिक सीमा तक अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में किसी अभिदाय की रकम सम्मिलित होगी। इसके अतिरिक्त खंड (viii) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि परिलब्धि के अंतर्गत किसी अन्य अनुषंगी फायदे या ऐसी सुख-सुविधा का मूल्य भी सम्मिलित होगा जो विहित की जाए।

यथास्थिति किसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य शेरों का मूल्य उस तारीख को, जिसको निर्धारिती द्वारा विकल्प का प्रयोग किया जाता है, निर्धारिती द्वारा संदत्त या उससे वसूल की गई वास्तविक रकम से घटाकर आया विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य शेरों का उचित बाजार मूल्य होगा। "उचित बाजार मूल्य" से उस पद्धति के अनुसार अवधारित किया गया मूल्य अभिप्रेत है, जो विहित किया जाए।

अतः बोर्ड को निम्नलिखित हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करने का प्रस्ताव है,—

(i) वह पद्धति विहित करना, जिसके अनुसार उचित बाजार मूल्य अवधारित किया जाएगा; और

(ii) किसी अन्य अनुषंगी फायदे या सुख-सुविधा के मूल्य के बारे में उपबंध करना।

विधेयक का खंड 13 आय-कर अधिनियम में विनिर्दिष्ट कारबार संबंधी व्यय की बाबत कटौतियों से संबंधित नई धारा 35कघ अंतःस्थापित करने के लिए है।

प्रस्तावित नई धारा यह उपबंध करने के लिए है कि निर्धारिती को उस पूर्ववर्ष के दौरान, जिसमें उसके द्वारा ऐसा व्यय उपगत किया गया है, उसके द्वारा किए गए विनिर्दिष्ट कारबार के लिए उपगत पूंजी प्रकृति के किसी संपूर्ण व्यय की बाबत कटौती अनुज्ञात की जाएगी।

उक्त धारा 35कघ ऐसे विनिर्दिष्ट कारबार को लागू होती है, जो उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों और ऐसी किन्हीं अन्य शर्तों को भी पूरा करता है, जो बोर्ड द्वारा विहित की जाएं।

तदनुसार बोर्ड को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए पूरा की जाने वाली किन्हीं अन्य शर्तों का उपबंध करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करने का प्रस्ताव है।

विधेयक का खंड 26 अन्य स्रोतों से आय के कराधान से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 56 का संशोधन करने के संबंध में है।

प्रस्तावित संशोधन अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करने के लिए है कि जहां कोई व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब 1 अक्टूबर, 2009 को या उसके पश्चात् किसी व्यक्ति से प्रतिफल के बिना स्थावर संपत्ति से भिन्न कोई संपत्ति प्राप्त करता है, जिसका कुल उचित बाजार मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है, तो ऐसी संपत्ति का संपूर्ण कुल उचित बाजार मूल्य प्राप्तकर्ता की ओर से कराधीन होगा। यह खंड यह और उपबंध करता है कि यदि ऐसी संपत्ति ऐसे प्रतिफल के लिए प्राप्त की जाती है, जो संपत्ति के कुल उचित बाजार मूल्य से पचास हजार रुपए से अधिक रकम तक कम है तो ऐसी संपत्ति का कुल उचित बाजार मूल्य जो ऐसे प्रतिफल से अधिक है, प्राप्तकर्ता की ओर से कराधीन होगा।

प्रस्तावित धारा का स्पष्टीकरण यह उपबंध करता है कि स्थावर संपत्ति से भिन्न किसी संपत्ति के "उचित बाजार मूल्य" से उस पद्धति के अनुसार अवधारित मूल्य अभिप्रेत है, जो विहित किया जाए।

अतः बोर्ड को ऐसी संपत्ति के उचित बाजार मूल्य का अवधारण करने की पद्धतियों का उपबंध करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करने का प्रस्ताव है।

विधेयक का खंड 39 विदेशों या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों के साथ करार से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 90 को प्रतिस्थापित करने के लिए है।

प्रस्तावित संशोधन आय-कर अधिनियम की धारा 90 को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जिससे केंद्रीय सरकार को, अन्य बातों के साथ, आय के दोहरे कराधान से बचने के लिए भारत से बाहर किसी देश या भारत से बाहर विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की सरकार के साथ करार करने के लिए सशक्त किया जा सके। इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो उक्त करार के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों।

अतः केंद्रीय सरकार को ऐसे उपबंध अधिसूचित करने के लिए सशक्त करने का प्रस्ताव है जो उक्त करार के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों।

उक्त धारा की उपधारा (3) यह उपबंध करती है कि अधिनियम या प्रस्तावित उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार में प्रयुक्त किंतु परिभाषित न किए गए किसी पद का, जब तक संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो और अधिनियम या करार के उपबंधों से असंगत न हो, वही अर्थ होगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में जारी की गई अधिसूचना में उसका है।

अतः केंद्रीय सरकार को पूर्वोक्त धारा के प्रयोजन के लिए कतिपय पदों को अधिसूचित करने के लिए सशक्त करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित धारा का स्पष्टीकरण 2 यह उपबंध करता है कि "विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र" से भारत के बाहर ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा उस रूप में अधिसूचित किया जाए।

तदनुसार, केंद्रीय सरकार को उक्त धारा के प्रयोजन के लिए "विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र" अधिसूचित करने के लिए सशक्त करने का प्रस्ताव है।

विधेयक का खंड 41 आय-कर अधिनियम में सुरक्षित बंदरगाह नियम बनाने की बोर्ड की शक्ति से संबंधित नई धारा 92गख अंतःस्थापित करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि धारा 92ग या धारा 92गक के अधीन आसन्निकट कीमत का अवधारण सुरक्षित बंदरगाह नियमों के अधीन रहते हुए होगा। तदनुसार, उक्त धारा की उपधारा (2) बोर्ड को सुरक्षित बंदरगाह नियम बनाने की शक्ति प्रदत्त करती है।

विधेयक का खंड 55 विवाद समाधान पैनल को निर्देश से संबंधित नई धारा 144ग अंतःस्थापित करने के लिए है।

प्रस्तावित नई धारा इस नई धारा के अधीन पात्र निर्धारिती द्वारा किए गए आक्षेपों के शीघ्र निपटान के प्रयोजन के लिए विवाद समाधान तंत्र का उपबंध करती है।

तदनुसार, बोर्ड को पात्र निर्धारिती द्वारा फाइल किए गए आक्षेपों के शीघ्र निपटान के लिए विवाद समाधान पैनल के दक्ष कृत्यकरण के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

विधेयक का खंड 60 ठेकेदारों को संदाय से संबंधित धारा 194ग का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की प्रस्तावित उपधारा (6) यह उपबंध करती है कि मालवाहन चलाने, किराए पर या पट्टे पर देने के कारबार प्रक्रम के दौरान ठेकेदार के खाते में पूर्ववर्ष के दौरान जमा या संदत्त की गई या जमा या संदत्त किए जाने के लिए संभावित किसी राशि से, ऐसी राशि का संदाय या जमा करने वाले व्यक्ति को अपना स्थायी लेखा संख्यांक प्रस्तुत करने पर, कोई कटौती नहीं की जाएगी।

बोर्ड को मालवाहन चलाने, किराए या पट्टे पर देने के कारबार के प्रक्रम के दौरान ठेकेदार के खाते में उपरोक्त राशि का संदाय या जमा करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा विशिष्टियां प्रस्तुत करने के संबंध में प्ररूप और समय का उपबंध करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करने का प्रस्ताव है।

विधेयक का खंड 63 कर की कटौती करने वाले व्यक्ति के कर्तव्यों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 200 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट उपबंध यह उपबंध करते हैं कि उक्त उपधारा के अधीन किसी राशि की कटौती करने वाला कोई व्यक्ति विहित समय के भीतर केंद्रीय सरकार के खाते में कटौती किए गए कर का संदाय करने के पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि के लिए तिमाही विवरण तैयार करेगा।

प्रस्तावित संशोधन बोर्ड को विवरण और ऐसे विवरणों की अवधि विहित करने हेतु नियम बनाने हेतु सशक्त करने के लिए है, जो उपधारा (3) के अधीन उत्तरदायी व्यक्ति प्रस्तुत करेगा।

विधेयक का खंड 67 कर की कटौती के बिना निवासियों को ब्याज के संदाय की बाबत तिमाही विवरणी प्रस्तुत करने से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 206क का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (1) और उपधारा (2) उक्त धारा में यथाउपबंधित "तिमाही विवरणियों" शब्दों के पश्चात् "या ऐसी अवधियों के लिए ऐसे विवरण, जो विहित की जाएं" शब्द अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित संशोधन बोर्ड को विवरण और ऐसे विवरणों की अवधि विहित करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करने के लिए है, जो उक्त धारा के अधीन उत्तरदायी व्यक्ति प्रस्तुत करेगा।

विधेयक का खंड 69 अल्कोहली लिकर, वनोत्पाद, स्क्रैप आदि में व्यापार करने के कारबार के लाभों और अभिलाभों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 206ग का संशोधन करने के लिए है।

प्रस्तावित संशोधन बोर्ड को विवरण और ऐसे विवरणों की अवधि का उपबंध करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करने के लिए है, जो अल्कोहली लिकर, वनोत्पाद,

स्क्रैप आदि में व्यापार करने के कारबार से कर संग्रहण करने वाला व्यक्ति प्रस्तुत करेगा।

विधेयक का खंड 76 साधारणतया सूचना की तामील से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 282 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा 282 का खंड (घ) बोर्ड को किसी सूचना या समन आदि की तामील के प्रयोजन के लिए उसमें उपबंधित पारिषण के साधनों के अतिरिक्त दस्तावेजों के पारिषण के किन्हीं अन्य साधनों का उपबंध करने हेतु नियम बनाने की शक्ति प्रदत्त करता है।

उक्त धारा की उपधारा (2) बोर्ड को उस पते का (इलेक्ट्रॉनिक डाक या इलेक्ट्रॉनिक डाक संदेश सहित) उपबंध करने हेतु नियम बनाने के लिए भी सशक्त करता है, जिसमें उक्त धारा में निर्दिष्ट संसूचना उसमें नामित व्यक्ति को परिदत्त या पारिषित की जा सकेगी।

विधेयक का खंड 83 धन-कर अधिनियम की धारा 44क के स्पष्टीकरण में, जो "व्यतिकारी देश" पद को परिभाषित करता है, "किसी देश" शब्दों के स्थान पर, "भारत के बाहर किसी देश या भारत के बाहर किसी राज्यक्षेत्र" शब्दों को प्रतिस्थापित करने के लिए है।

धारा 44क केंद्रीय सरकार को किसी व्यतिकारी देश की सरकार के साथ करार करने के लिए सशक्त करती है। इसमें यह और उपबंध है कि केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा व्यतिकारी देश के साथ ऐसे करार के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपबंध कर सकेगी।

अतः केंद्रीय सरकार को उक्त करार के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

धन-कर अधिनियम की धारा 44क का स्पष्टीकरण यह उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार "व्यतिकारी देश" को अधिसूचित कर सकेगी जिससे भारत के बाहर कोई देश या भारत के बाहर कोई राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है।

अतः केंद्रीय सरकार को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए "व्यतिकारी देश" अधिसूचित करने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

विधेयक का खंड 84 सीमाशुल्क अधिनियम में कतिपय मामलों में आयात शुल्क के प्रतिदाय से संबंधित एक नई धारा 26क अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव करता है। उक्त धारा 26क की उपधारा (1) का खंड (घ) माल के निर्यात, उसके संबंध में हक के परित्याग और उसे सीमाशुल्क अधिकारियों के पास छोड़ने और समुचित अधिकारी की उपस्थिति में आयातित माल को नष्ट करने या उसे वाणिज्यिक रूप से मूल्यविहीन करने के प्ररूप और रीति अधिकथित करने के लिए विनियम बनाने हेतु बोर्ड को सशक्त करती है। उक्त धारा की उपधारा (2) ऐसे आयात शुल्क के प्रतिदाय के लिए आवेदन का प्ररूप और रीति अधिकथित करने हेतु विनियम बनाने के लिए बोर्ड को सशक्त करती है।

विधेयक का खंड 88 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 137 का संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। उक्त धारा की उपधारा (3) अपराधों के प्रशमन की रीति का उपबंध करने के लिए नियम बनाने हेतु केंद्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए है।

खंड 103 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 9क का संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। उक्त धारा की उपधारा (2) प्रशमन की रीति का उपबंध करने के लिए नियम बनाने हेतु केन्द्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए है।

विधेयक का खंड 112 वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 का संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। उक्त खंड के उपखंड (ऊ) में धारा 94 के संशोधन का प्रस्ताव है, जो केन्द्रीय सरकार को सेवा कर की दर और कराधेय सेवा के उपबंध के स्थान का अवधारण के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करती है।

वे विषय जिनकी बाबत विधेयक के पूर्वोक्त उपबंधों के अनुसार अधिसूचनाएं जारी की जा सकेंगी या नियम या विनियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और ब्यौरे के विषय हैं और विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है।

अतः, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।